[2018] 10 एस. सी. आर 773

भास्कर श्रीची एलॉयस लिमिटेड। ETC.ETC।

वी.

दामोदर घाटी निगम और ओआरएस। ईटीसी।

(सिविल अपील सं। 971-973 2008)

23 जुलाई, 2018

[रंजन गोगोई और आर. भानुमती, जे. जे.]

विद्युत-द्वारा उत्पन्न विद्युत की आपूर्ति/वितरण

दामोदर घाटी निगम के लिए शुल्क का निर्धारण

-

1948 अधिनियम और 2003 अधिनियम के प्रावधानों के बीच अंतःक्रिया

निगम ने 2000-2003 में अपने स्वयं के शुल्क आदेश को अधिसूचित किया अधिनियम आया

2003 के अधिनियम के लागू होने के बावजूद,

निगम ने केंद्रीय विद्युत नियामक से संपर्क नहीं किया आयोग (सी. ई. आर. सी.) अपने द्वारा प्रभार्य शुल्क के निर्धारण के लिए

सी. ई. आर. सी. ने शुल्क आदेश जारी किया-निगम द्वारा पहले चुनौती दी गई

अपीलीय न्यायाधिकरण-न्यायाधिकरण ने अन्य बातों के साथ-साथ यह अभिनिर्धारित किया कि

1948 जो अधिनियम 2003 के अधिनियम से असंगत नहीं हैं, वे जारी रहेंगे।

स्वामित्व-आयोजित: 1948 के अधिनियम का भाग IV असंगत नहीं है 2003 के अधिनियम के प्रावधानों के साथ ध्यान में रखा जा सकता है

शुल्क का निर्धारण-1948 के अधिनियम के ऐसे प्रावधान भी

के असंगत प्रावधानों पर एक प्रबल प्रभाव पड़ता है

2004 प्रशुल्क विनियम-न्यायाधिकरण द्वारा लिया गया दृष्टिकोण पुष्टि करता है - केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग (नियम और शर्तें)

शुल्क) विनियम, 2004-दामोदर घाटी निगम अधिनियम,

1948 - विद्युत अधिनियम, 2003-एस. 61 , 62 और 125।

विद्युत अधिनियम, 2003-एस का चौथा परंतुक। 14 - उद्देश्य और

अपीलार्थियों की याचिका का प्रभाव कि एक परंतुक का आवेदन अनिवार्य है

हमेशा के मापदंडों के भीतर सीमित और समझा जाए

मुख्य धारा के प्रावधान जिनका यह एक हिस्सा है-आयोजितः चौथा

एस के लिए प्रावधान। 14 स्पष्ट रूप से निर्धारित करने के लिए एक ठोस प्रावधान है

एक परंतुक जो आम तौर पर इसकी आवश्यकता से संबंधित है, उससे कुछ अधिक

केवल लाइसेंस देने के सवाल तक ही सीमित नहीं समझा जाना चाहिए

जिसे एस के मुख्य भाग द्वारा निपटाया जाता है। 14 - दामोदर घाटी

निगम अधिनियम, 1948-एस. 18 और 19.

बिजली सी. ई. आर. सी. ने शुल्क निर्धारित करने के लिए शुल्क आदेश जारी किया

1 अप्रैल, 2006 से अवधि के लिए उत्पादन और संचरण के लिए

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

दामोदर घाटी निगम को 1 अप्रैल, 2004 से 31 मार्च, 2006 तक की दो साल की संक्रमण अवधि की अनुमति देकर 31 मार्च, 2009 तक-अपीलीय न्यायाधिकरण द्वारा आयोजित-स्वामित्व: बिजली के उत्पादन, संचरण और वितरण के अलावा निगम को कुछ सामाजिक कार्यों को करने के लिए वैधानिक रूप से आवश्यक है। सुरक्षा/लाभकारी उपाय जैसे बाढ़ नियंत्रण, मिट्टी के कटाव का नियंत्रण, वनीकरण, नौवहन, सार्वजनिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देना आदि-अस्थायी अवधि के अनुदान के साथ दोष नहीं दिया जा सकता है-न्यायाधिकरण के आदेश के हिस्से में हस्तक्षेप नहीं किया गया है।

विद्युत अधिनियम, 2003-एस। 79 - आयोजित किया गया: एस के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए। 79 यह केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग (सी. ई. आर. सी.) है जो इसके लिए उपयुक्त आयोग होगा।

शुल्क का निर्धारण क्योंकि दामोदर घाटी निगम केंद्र सरकार के स्वामित्व और नियंत्रण वाला निगम है-अपीलीय न्यायाधिकरण द्वारा दर्ज किए गए उक्त निष्कर्ष में हस्तक्षेप नहीं किया गया है।

दामोदर घाटी निगम अधिनियम, 1948-दामोदर घाटी निगम का निगमन-उद्देश्य और कारण

चर्चा की।

केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग (शुल्क के नियम और शर्तें) विनियम, 2004-यदि इसका प्रभाव अधिक है।

1948 के अधिनियम में समानांतर प्रावधानों पर-अपीलार्थी की याचिका कि 2004 के विनियमों को 1948 के अधिनियम के प्रावधानों को ओवरराइड करना चाहिए क्योंकि उक्त विनियम वैधानिक हैं-आयोजित: स्वीकार नहीं किया गया-2004 के विनियम हालांकि वैधानिक रूप से अधीनस्थ प्रत्यायोजित विधान की एक प्रजाति हैं-दामोदर घाटी निगम अधिनियम, 1948।

क़ानूनों की व्याख्या-बाहरी सहायता-संसदीय स्थायी समिति द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट-पर चर्चा की गई।

बिजली मूल्यह्रास दर 'और' डूबता कोष '-शुल्क निर्धारण के शीर्ष-यू/का निर्धारण 1948 अधिनियम की धारा 40

दामोदर घाटी निगम अधिनियम, 1948 की स्वामित्व-चर्चा की गई - 40 केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग (नियम और शर्तें)

बिजली-शुल्क-पेंशन और ग्रेच्युटी कोष के लिए वसूली-केंद्रीय बिजली के फैसले के उलट नियामकीय आयोग भास्कर श्रीची एलॉयस लिमिटेड को उपभोक्ताओं से वसूली की अनुमति दे रहा है।

ईटीसी। ईटीसी. वी. दामोदर घाटी निगम और ओआरएस। ईटीसी।

60 प्रतिशत की सीमा और दामोदर घाटी निगम, अपीलीय न्यायाधिकरण द्वारा शेष 40 प्रतिशत के योगदान ने पूरी निधि को

उपभोक्ताओं से शुल्क के माध्यम से वसूली-स्वामित्व-आयोजितः प्रत्यक्षतः, विद्युत अधिनियम, 2003 में हस्तक्षेप को उचित ठहराने के लिए न्यायाधिकरण द्वारा उपरोक्त निष्कर्ष पर पहुंचने में अपनाए गए तर्क में कोई त्रुटि नहीं है - s.125। बिजली-दाम के माध्यम से वसूल की जाने वाली दामोदर घाटी निगम की "अन्य गतिविधियों" से संबंधित लागत -

अपीलीय न्यायाधिकरण-अपीलार्थियों की याचिका का स्वामित्व। 32 और 1948 के अधिनियम की धारा 33 एस. एस. के साथ सीधे टकराव में हैं। 41 और 2003 के अधिनियम की धारा 51 और इसलिए, निगम द्वारा बिजली शुल्क के माध्यम से किए गए "अन्य कार्यों" में की गई लागत की वसूली

पूर्णतया असमर्थनीय-आयोजितः " निगम की अन्य गतिविधियाँ वैकल्पिक नहीं हैं जैसा कि यू/एस. एस. में विचार किया गया है। 41/51 2003 के अधिनियम के तहत, लेकिन 1948 के अधिनियम द्वारा अनिवार्य रूप से लागू किया जाता है, जो सामाजिक रूप से लाभकारी उपायों की प्रकृति में होने के कारण, अपने आप में किसी भी प्रकार की कमाई नहीं करता है।

राजस्व ताकि अलग-अलग खातों के रखरखाव की आवश्यकता हो निगम की "अन्य गतिविधियों" के संबंध में की गई लागत की वसूली का भत्ता

बिजली के उपभोक्ताओं/ग्राहकों से देय शुल्क इसलिए, 1948 के अधिनियम के प्रावधानों द्वारा अनुध्यात 2003 के अधिनियम के प्रावधानों से टकराता या असंगत नहीं है।

न्यायाधिकरण के निष्कर्ष-विद्युत अधिनियम, 2003-में हस्तक्षेप नहीं करते हैं। 41 और 51-दामोदर घाटी निगम अधिनियम, 1948-एस। 32 और 33.

याचिकाओं को खारिज करते हुए अदालत ने

पकड़नाः 1.1 अस्थायी अवधि वैधानिक कार्यों/सामाजिक जिम्मेदारियों को ध्यान में रखते हुए दी गई है जो

दामोदर घाटी निगम (डी. वी. सी./निगम) को दामोदर घाटी निगम अधिनियम के संदर्भ में कार्य करने के लिए अनिवार्य किया गया है।

1948. निर्धारित शुल्क झारखंड और पश्चिम बंगाल विद्युत नियामक द्वारा निर्धारित शुल्क से भी कम है।

उपभोक्ताओं के सामान्य/घरेलू वर्गों के लिए कमीशन। जबकि यह सही है कि उपभोक्ताओं के वर्गों द्वारा सेवा प्रदान की गई

पश्चिम बंगाल और झारखंड के राज्य विद्युत बोर्डों के मुख्य लाभार्थियों को थोक आपूर्ति के अलावा निगम एच. टी.-इस्पात, कोयला, रेलवे आदि जैसे औद्योगिक उपभोक्ता हैं, उक्त तथ्य, अपने आप में एक और विशिष्ट विशेषता है जो [2018] 10 एस. सी. आर. को अलग करता है।

1.2 दामोदर घाटी निगम को दामोदर घाटी निगम अधिनियम के प्रावधानों के तहत शामिल किया गया था। 1948. वर्ष 1943 में किसी समय, दामोदर नदी घाटी भीषण बाढ़ से प्रभावित हुई थी, जिससे व्यापक स्तर पर जीवन और संपत्ति का विनाश हुआ था। बंगाल की प्रांतीय सरकार ने भविष्य में ऐसी आपदाओं से बचने के तरीके और साधन सुझाने के लिए एक जांच समिति का गठन किया था। जाँच समिति

अन्य बातों के साथ-साथ, संयुक्त राज्य अमेरिका के टेनेसी घाटी प्राधिकरण की तर्ज पर एक सांविधिक निगम की सिफारिश की गई थी

दामोदर नदी की कमान संभालने और उसे नियंत्रित करने के लिए निगमित। द. तब ब्रिटिश सरकार ने समिति के इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया था और टेनेसी घाटी प्राधिकरण के लिए काम करने वाले एक वरिष्ठ इंजीनियर को इस संबंध में सिफारिशें और सुझाव देने के लिए बुलाया था।

ध्यान दें। [पैरा 30] [793-एफ-एच] 1.3 केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग (शुल्क के नियम और शर्तें) विनियम, 2004, हालांकि इसमें वैधानिक है।

चरित्र अधीनस्थ प्रत्यायोजित विधान की एक प्रजाति है। इसके अलावा, राष्ट्रपति में निर्धारित कानून के मौलिक सिद्धांतों से हटना पूरी तरह से अनावश्यक हो सकता है। संदर्भ मामला जो एक अपरिहार्य परिणाम होगा, यदि अपीलकर्ताओं की ओर से इस आशय की दलीलें पेश की जाती हैं कि टैरिफ विनियमों को भास्कर श्रीची एलएलओवाईएस लिमिटेड के प्रावधानों को ओवरराइड करना चाहिए।

ईटीसी। ईटीसी. वी. दामोदर घाटी निगम और ओआरएस। ईटीसी।

1948 के अधिनियम को, जैसा कि उक्त विनियम वैधानिक हैं, स्वीकार किया जाना चाहिए। बाद में सर्वोच्च न्यायालय ने भारतीदासन विश्वविद्यालय और अन्र में भी इस पर जोर दिया है। और संस्थानन चेथू थोझिलाली यूनियन मामले। कोई त्रुटि नहीं, इसलिए, अपीलीय न्यायाधिकरण द्वारा उपरोक्त निर्णयों के अनुपात पर निहित निर्भरता में भी पाया जा सकता है। [पारस 35,37] [795-एफ-जी; 798-डी-ई]

राष्ट्रपति का संदर्भ, दिल्ली कानून अधिनियम, 1912

1951 एससी 332: [1951] एस. सी. आर. 747-अनुसरण किया गया।

भारतीदासन विश्वविद्यालय और अन्र। वी. ए. आई. सी. टी. ई. और अन्य (2001) 8 एससीसी 676: [2001] 3 पूरक। एस. सी. आर. 253; संस्थानन चेथू थोझिलाली यूनियन बनाम। केरल राज्य और अन्य। (2006) 4 एससीसी 327: [2006] 3 एससीआर 420

संदर्भित किया गया।

1.4 विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 14 के चौथे प्रावधान में "... और दामोदर घाटी के प्रावधानों" का उपयोग किया गया है।

निगम अधिनियम, 1948 जहाँ तक वे असंगत नहीं हैं

अधिनियम के प्रावधान उस पर लागू होते रहेंगे। निगम "। धारा 14 का चौथा परंतुक स्पष्ट रूप से उस परंतुक से कुछ अधिक निर्धारित करने के लिए एक ठोस प्रावधान है जिससे आम तौर पर निपटा जाता है। यदि परंतुक का इरादा केवल धारा 14 के मुख्य भाग से डी. वी. सी. को बाहर करना था जो बिजली में पारेषण/वितरण/व्यापार के लिए लाइसेंस प्राप्त करने की आवश्यकता से संबंधित है, तो उद्देश्य पूरी तरह से प्राप्त किया जाता है

पहला भाग डी. वी. सी. को 'मानित लाइसेंसधारी' के रूप में मान्यता देना और लाइसेंस के लिए आवेदन करने और प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है। विधायिका बस वहीं रुक सकती थी। दूसरे भाग को शामिल करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। चौथे परंतुक का दूसरा भाग दामोदर घाटी निगम अधिनियम, 1948 के कुछ प्रावधानों को निरंतर लागू करना है जो बिजली अधिनियम, 2003 के प्रावधानों के साथ असंगत नहीं हैं। धारा 14 का तीसरा परंतुक जो यह प्रावधान करता है कि "यदि कोई उपयुक्त प्रावधान है तो

सरकार बिजली का संचारण करती है या बिजली वितरित करती है या बिजली का व्यापार करती है, चाहे इससे पहले हो या बाद में।

अधिनियम के प्रारंभ में, ऐसी सरकार को अधिनियम के तहत लाइसेंसधारी माना जाएगा, लेकिन अधिनियम के तहत लाइसेंस प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं होगी। जहाँ तक डी. वी. सी. का संबंध है,

यदि चौथे परंतुक को केवल लाइसेंस देने तक ही सीमित रखा जाना है जैसा कि [2018] 10 एस. सी. आर. के मामले में है।

विधायिका ने कहा कि चौथे परंतुक का दूसरा भाग 1948 के अधिनियम के कुछ प्रावधानों को निरंतर लागू करना है जो बिजली अधिनियम, 2003 के प्रावधानों के साथ असंगत नहीं हैं। दामोदर घाटी निगम अधिनियम, 1948 में लाइसेंस देने का कोई प्रावधान नहीं है। परंतुक के दूसरे भाग में स्पष्ट संदर्भ के लिए प्रदान करना है जहां तक वे विद्युत अधिनियम, 2003 के प्रावधानों के साथ असंगत नहीं हैं, 1948 अधिनियम के प्रावधानों का निरंतर अनुप्रयोग। [पारस 41,42] [802-ए-एच]

1.5 अपीलार्थियों ने अधिनियम की धारा 18 और 19 का संदर्भ दिया।

दामोदर घाटी निगम अधिनियम, 1948 अनुज्ञप्ति से संबंधित प्रावधान हैं जिन्हें 2003 के अधिनियम की धारा 14 के चौथे परंतुक के दूसरे भाग के आधार पर सुरक्षित माना जा सकता है। 1948 के अधिनियम की धारा 18 और 19 के अवलोकन से पता चलता है कि वे दामोदर घाटी क्षेत्र के भीतर विद्युत ऊर्जा की आपूर्ति और उत्पादन और बिजली के वितरण से संबंधित हैं। विद्युत अधिनियम, 2003 के प्रावधान जो विनियामक आयोगों को व्यक्तियों (डी. वी. सी. के अलावा) को लाइसेंस देने के लिए अधिकृत करते हैं, पूरी तरह से इस क्षेत्र को नियंत्रित करते हैं और इस संबंध में 1948 के अधिनियम के निरंतर लागू होने का कोई सवाल ही नहीं है। 1948 अधिनियम की धारा 18 और 19 डी. वी. सी. को लाइसेंस देने से संबंधित नहीं हैं। ये प्रावधान केवल दामोदर घाटी क्षेत्र के भीतर बिजली वितरित करने के लिए अन्य संस्थाओं की गतिविधियों से संबंधित हैं। इसके अलावा, विद्युत अधिनियम, 2003 के प्रावधान विनियामक आयोगों को डी. वी. सी. के अलावा अन्य व्यक्तियों को लाइसेंस देने के लिए अधिकृत करते हैं। इसलिए, उन प्रावधानों पर 1948 के अधिनियम के निरंतर लागू होने का कोई सवाल ही नहीं हो सकता है। धारा 14, विद्युत अधिनियम, 2003 का चौथा परंतुक जो "..... .....।

ईटीसी। ईटीसी. वी. दामोदर घाटी निगम और ओआरएस। ईटीसी।

विद्युत अधिनियम, 2003 के प्रावधानों के साथ असंगत। दोनों प्रावधानों के पीछे के इरादे की सराहना की जानी चाहिए और प्रभाव दिया। [पैरा 43,44] [803-ए-ई]

धारा 173 के प्रावधान के अधिनियमन के पीछे के विधायी इतिहास और चौथे परंतुक सहित धारा 14 के प्रावधानों के लिए, यह निम्नलिखित के अनुरूप हो सकता है: यह अभिनिर्धारित करने का संसदीय इरादा कि धारा 14 के चौथे परंतुक को केवल अनुज्ञप्ति के प्रश्न तक ही सीमित नहीं समझा जाना चाहिए जिसे धारा 14 के मुख्य भाग द्वारा निपटाया जाता है। बल्कि, संसद ने निगम को आंशिक छूट प्रदान करने का इरादा रखते हुए यह अनिवार्य कर दिया था कि 1948 के अधिनियम के ऐसे प्रावधान जो 2003 के अधिनियम के साथ असंगत नहीं हैं, वे जारी रहेंगे। इस प्रकार, विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 14 के चौथे परंतुक को कानून के पर्याप्त प्रावधान की प्रकृति में एक विधायी अभ्यास के रूप में समझा जाना चाहिए। 1948 के अधिनियम के भाग IV के 2003 के अधिनियम के प्रावधानों के साथ असंगत नहीं होने के कारण, शुल्क के निर्धारण के लिए ध्यान में रखा जा सकता है। 1948 के अधिनियम के ऐसे प्रावधानों में भी होगा -

केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग के असंगत प्रावधानों पर प्रबल प्रभाव (के नियम और शर्तें) प्रशुल्क) विनियम, 2004। उपरोक्त विचार, जहां तक बिजली के उत्पादन और संचरण के अलावा निगम की गतिविधियों का संबंध है, 1948 के अधिनियम के प्रावधानों को भी प्रभावी बनाएगा। अतः, अपीलीय न्यायाधिकरण द्वारा लिए गए उपरोक्त दृष्टिकोण की पुष्टि की जाती है। [पारस 47,48] [804-एच; 805-ए-एच] [2018] 10 एस. सी. आर.

1.7 जहाँ तक 'मूल्यह्रास दर' और 'डूबती निधि' का संबंध है, यह दामोदर घाटी की धारा 40 के प्रावधान हैं।

निगम अधिनियम, 1948 जिसे निर्धारक माना गया है।

विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 14 के चौथे परंतुक को समझने के तरीके को स्पष्ट करने के बाद, किसी को भी 'मूल्यह्रास' और 'डूबती निधि' से संबंधित मुद्दों पर अपीलीय न्यायाधिकरण द्वारा अपनाए गए तर्क को किसी भी तरह से मौलिक रूप से त्रुटिपूर्ण नहीं लगता है ताकि 2003 के अधिनियम की धारा 125 के तहत हस्तक्षेप/हस्तक्षेप की आवश्यकता वाले कानून के एक महत्वपूर्ण प्रश्न को जन्म दिया जा सके। जहां तक ऋण-इक्विटी अनुपात का संबंध है, यह पाया गया है कि 1992 से पहले पूरी की गई परियोजनाओं को छोड़कर, इस मामले में अन्य सार्वजनिक क्षेत्र के संगठनों के बराबर अनुपात 50 निर्धारित किया गया है: 50 , 70 का अनुपात: 30 इसके बाद स्वीकार किया गया है

1948 के अधिनियम के तहत किसी विशिष्ट दर के अभाव में केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग (शुल्क के नियम और शर्तें) विनियम, 2004 के विनियम 20 के तहत प्रिस्क्रिप्शन। [पारस 50,51] [806-ई-एच] 1.8 जहाँ तक पेंशन और ग्रेच्युटी कोष का संबंध है, केवल एक ही मुद्दा उठ रहा है कि क्या कोष एक्चुअरी पर काम करता है।

आधार पर रु। सी. ई. आर. सी. द्वारा रखे गए अनुपात के अनुसार निगम और उपभोक्ताओं के बीच 1534.49 करोड़ का बंटवारा किया जाना चाहिए।

40 में से: 60 या अपीलीय न्यायाधिकरण द्वारा अभिनिर्धारित उपभोक्ताओं से शुल्क के माध्यम से पूरी निधि की वसूली की अनुमति दी जानी चाहिए। अपीलीय न्यायाधिकरण द्वारा अपनाए गए तर्क पर सावधानीपूर्वक विचार करने से ऐसी किसी त्रुटि का खुलासा नहीं होगा जिससे इस न्यायालय का हस्तक्षेप सुनिश्चित हो। अपनाए गए तर्क में कोई त्रुटि या भ्रांति का खुलासा नहीं किया गया है ताकि इसके तहत हस्तक्षेप को उचित ठहराया जा सके।

विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 125। [पारस 52,53] [807-ए-बी, ई-एफ]

1.9 विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 41 और 51 में अन्य बातों के साथ-साथ अन्य व्यवसाय के अलग-अलग खातों के रखरखाव की आवश्यकता होती है।

पारेषण/वितरण लाइसेंसधारियों द्वारा किया जाता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि बिजली के पारेषण/वितरण व्यवसाय से प्राप्त लाभ ऐसे किसी अन्य व्यवसाय को सब्सिडी न दे। न केवल 2003 के अधिनियम की धारा 41 और 51 उपयुक्त आयोग के पूर्व अनुमोदन पर विचार करती है, इससे पहले कि कोई लाइसेंसधारी किसी भी कार्य में संलग्न हो सके।

2003 के अधिनियम के तहत लाइसेंसधारी के अलावा अन्य व्यवसाय, भास्कर श्रीची एलॉयस लिमिटेड।

ईटीसी। ईटीसी. वी. दामोदर घाटी निगम और ओआरएस। ईटीसी।

2003 के अधिनियम के उपरोक्त प्रावधानों में इस तरह के व्यवसाय से कुछ लाभ या राजस्व की कमाई पर विचार किया गया है। में

तत्काल मामले में, निगम की "अन्य गतिविधियाँ" वैकल्पिक नहीं हैं जैसा कि 2003 के अधिनियम की धाराओं 41/51 के तहत विचार किया गया है।

लेकिन कानून यानी 1948 के अधिनियम द्वारा अनिवार्य रूप से निर्धारित किए गए हैं, जो सामाजिक रूप से लाभकारी उपायों की प्रकृति में होने के कारण, अपने आप में किसी भी राजस्व की कमाई को शामिल नहीं करते हैं ताकि अलग-अलग खातों के रखरखाव की आवश्यकता हो। इसलिए, दामोदर घाटी निगम अधिनियम 1948 के प्रावधानों के अनुसार, बिजली के उपभोक्ताओं/ग्राहकों से प्रभार्य शुल्क द्वारा उत्पन्न सामान्य निधि से निगम की "अन्य गतिविधियों" के संबंध में की गई लागत की वसूली का भत्ता, 2003 के अधिनियम के प्रावधानों से टकराता नहीं है या किसी भी तरह से असंगत नहीं है। इसलिए, उपरोक्त अंकों पर अपीलीय न्यायाधिकरण द्वारा दर्ज किए गए निष्कर्षों में हस्तक्षेप करने का कोई अवसर नहीं है। [पैरा 55] [808-डी-एच]

शाह भोजराज कुवरजी ऑयल मिल्स एंड जिनिंग फैक्ट्री बनाम।

सुभाष चंद्र योगराज सिन्हा [1962] 2 एससीआर 159 -

—

पीछा किया।

एस. सुंदरम पिल्लई और अन्य बनाम वी. आर. पट्टाभिरमन और

अन्य (1985) 1 एस. सी. सी. 591: [1985] 2 एससीआर 643;

कल्पना मेहता और अन्य। वी. भारत संघ और अन्य। 2018

(7) स्केल 106 पर भरोसा किया गया।

द्वारका प्रसाद बनाम। द्वारका दास सराफ (1976) 1 एससीसी

128 : [1976] 1 एस. सी. आर. 277; भारत संघ और अन्य। वी.

दिलीप कुमार सिंह (2015) 4 एससीसी 421: [2015] 2 एससीआर

882 ; पी. टी. सी. इंडिया लिमिटेड बनाम केंद्रीय विद्युत नियामक

आयोग (2010) 4 एससीसी 603: [2010] 3 एससीआर 609;

राजस्थान राज्य बनाम। लीला जैन [1965] 1 एससीआर 276;

मोतीराम घेलाभाई बनाम। जगन नगर (1985) 2 एससीसी

279 [1985] 2 एस. सी. आर. 1051-संदर्भित।

मामला कानून संदर्भ

[1976] 1 एससीआर 277

संदर्भित किया गया है

पैरा 12

[2015] 2 एससीआर 882

संदर्भित किया गया है

पैरा 12

[2001] 3 पूरक। एससीआर 253

संदर्भित किया गया है

पैरा 13

[2006] 3 एससीआर 420

संदर्भित किया गया है

[2010] 3 एससीआर 609

पैरा 14

संदर्भित किया गया है

[1965] 1 एससीआर 276

संदर्भित किया गया है

पैरा 22

[1985] 2 एससीआर 643

उस पर भरोसा करें

पैरा 22

[1962] 2 एससीआर 159

पीछा किया।

पैरा 22

[1985] 2 एससीआर 1051

संदर्भित किया गया है

पैरा 22

[1951] एससीआर 747

पीछा किया।

पैरा 36

उस पर भरोसा करें

2018 (7) स्केल 106

पैरा 45

सिविल अपीलीय न्यायनिर्णय: सिविल अपील सं। 971-973

2008 का

अपीलीय के 23.11.2007 दिनांकित निर्णय और आदेश से

विद्युत न्यायाधिकरण, नई दिल्ली ने अपील सं. 271 , 272 और 2006 का 273

के साथ

सी. ए. सं. 1914 , 4504-4508 और 2008 का 4289। संदीप सेठी, एएसजी, जयदीप गुप्ता, सीनियर एड. , निखिल नय्यर, एन. साई

विनोद, धनंजय बैजल, सुश्री स्मृति शाह, दिव्यांशु राय, राजीव शंकर द्विवेदी, एस. के. सरकार, सुश्री आरती द्विवेदी, प्रवीण कुमार सिंह,

मो. जियाउद्दीन अहमद, मोहन प्रसाद गुप्ता, सुश्री लिज़ मैथ्यू, सचिन शर्मा, अरविंद कुमार शर्मा, शिबाशीष मिश्रा, एम. जी. रामचंद्रन, के. वी. मोहन, सुश्री अनुश्री बर्धन, Ms.Poorva सहगल, शुभम आर्य, अमित कपूर, राजेश गुप्ता, सिद्धार्थ शर्मा, जिष्णु चौधरी,

पुखरंबम रमेश कुमार, सुश्री प्रियंका टिबरेवाल, अक्षत जैन, सुश्री राधिका सेठ, अभिनव लिलोथिया, देवाशीष भरुका, राजीव यादव। मोहक सिद्दीकी, अनिल कुमार झा, हीरेन दासन, हरीश दासन, चांद कुरैशी, श्रीमती सरला चंद्र, अनुपम लाल दास, सौरभ मिश्रा, सुनील कुमार जैन, अभिजीत सेनगुप्ता, सुश्री शर्मिला उपाध्याय, पार्थ सिल, अधिवक्ता। उपस्थित दलों के लिए।

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

रंजन गोगोई, जे. 1. अपीलों का यह समूह एक से उत्पन्न होता है

नई दिल्ली में विद्युत के लिए विद्वान अपीलीय न्यायाधिकरण द्वारा पारित 23 नवंबर, 2007 का सामान्य निर्णय और आदेश (इसके बाद) जिसे "विद्वान अपीलीय न्यायाधिकरण" के रूप में संदर्भित किया जाता है)। विद्वत अपीलीय न्यायाधिकरण के समक्ष अपीलों में चुनौती केंद्रीय भास्कर श्रीची एलएलओवाईएस लिमिटेड के आदेश के खिलाफ थी।

ईटीसी। ईटीसी. वी. दामोदर घाटी निगम और ओआरएस। ईटीसी। [रंजन गोगोई, जे.]

विद्युत नियामक आयोग (इसके बाद "सी. ई. आर. सी". के रूप में संदर्भित) दिनांक 3 अक्टूबर, 2006 को निगम द्वारा उत्पादित और संचारित बिजली के उपभोक्ताओं से दामोदर घाटी निगम (इसके बाद "निगम" के रूप में संदर्भित) द्वारा प्रभार्य शुल्क का निर्धारण करता है। शुल्क का निर्धारण बिजली अधिनियम, 2003 की धारा 61 और 62 (इसके बाद "2003 अधिनियम" के रूप में संदर्भित) के प्रावधानों के तहत किया गया है, जिसे दामोदर घाटी निगम अधिनियम, 1948 (इसके बाद "1948 अधिनियम" के रूप में संदर्भित) के ऐसे अन्य प्रावधानों के साथ पढ़ा जाता है, जो 2003 के अधिनियम के प्रावधानों के साथ असंगत नहीं पाए गए हैं। 2003 के अधिनियम की धारा 125 के तहत होने वाली अपीलों का उत्तर केवल कानून के ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों पर दिया जाना आवश्यक है जो इस न्यायालय द्वारा निर्धारण के लिए उत्पन्न हो सकते हैं।

2. सबसे पहले, तथ्य।

निगम की स्थापना पश्चिम बंगाल और झारखंड राज्यों के अंतर्गत आने वाले दामोदर घाटी क्षेत्र के विकास के लिए 1948 के अधिनियम के तहत की गई है। जैसा कि 1948 के अधिनियम की धारा 12 के प्रावधानों से स्पष्ट है, 1948 के अधिनियम के तहत निगम द्वारा की गई गतिविधि के तीन प्रमुख क्षेत्र हैं: ((i) विद्युत उत्पादन,

संचरण और वितरण; (ii) बाढ़ नियंत्रण; और (iii) सिंचाई और कुछ संबंधित गतिविधियाँ जैसे मिट्टी संरक्षण, वनीकरण आदि।

3. 1948 के अधिनियम की धारा 20 के तहत, निगम था

अपने उपभोक्ताओं से उसके द्वारा प्रभार्य शुल्क निर्धारित करने के लिए सशक्त और अधिकृत। "वित्त, लेखा और लेखा परीक्षा" शीर्षक के तहत 1948 के अधिनियम का भाग IV, हालांकि, सतही रूप से, व्यवहार करने वाला प्रतीत हो सकता है।

निगम के आंतरिक प्रबंधन में ऐसे प्रावधान हैं जो 1948 के अधिनियम की धारा 20 के तहत शुल्क निर्धारण के लिए प्रासंगिक हो सकते हैं। उक्त प्रावधानों में से कुछ 1948 के अधिनियम की धारा 32,37,38,39 और 40 में पाए जाते हैं जो व्यय, मूल्यह्रास, भत्ते, ब्याज के भुगतान आदि के पहलुओं से संबंधित हैं।

उक्त व्यय या भत्तों/अस्वीकृतियों, जो भी हो, को ध्यान में रखते हुए निगम अपने उपभोक्ताओं से शुल्क लेने का हकदार होगा।

4. 1948 के अधिनियम की धारा 20 के प्रावधानों के तहत कार्य करते हुए निगम ने 1 सितंबर, 2000 को अपने स्वयं के शुल्क आदेश को अधिसूचित किया था। 2003 का अधिनियम 10 जून, 2003 से लागू हुआ। 2003 के अधिनियम के लागू होने के बावजूद निगम ने अपने द्वारा प्रभार्य शुल्क के निर्धारण के लिए सी. ई. आर. सी. से संपर्क नहीं किया था।

नतीजत

न, [2018] 10 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

सी. ई. आर. सी. ने 29 मार्च, 2005 के आदेश द्वारा स्वतः संज्ञान लेते हुए कार्यवाही शुरू की और निगम को इसके लिए एक आवेदन जमा करने का निर्देश दिया। 1 अप्रैल, 2004 से 31 मार्च, 2009 तक की अवधि के लिए शुल्क का निर्धारण। सी. ई. आर. सी. द्वारा पारित उक्त आदेश के संदर्भ में, निगम ने विचाराधीन अवधि के लिए शुल्क के निर्धारण के लिए सी. ई. आर. सी. (यानी 2005 की याचिका No.66) के समक्ष 8 जून, 2005 को एक आवेदन किया। ऐसा प्रतीत होता है कि इसमें शामिल मुद्दों की "जटिलता" को देखते हुए, सीईआरसी

उसने अपने सदस्यों में से एक से अनुरोध किया था कि वह आवश्यक तथ्य-खोज की कवायद में जाए और विस्तृत तथ्यों की एक रिपोर्ट प्रस्तुत करे जो सी. ई. आर. सी. द्वारा शुल्क के निर्धारण के लिए प्रासंगिक होगी। सी. ई. आर. सी. की उपरोक्त एकल सदस्य पीठ से प्राप्त उपलब्ध सूचनाओं के आधार पर, सी. ई. आर. सी. ने 3 अक्टूबर 2006 को एक शुल्क आदेश जारी किया जिसमें निर्धारित किया गया था कि

5. इस स्तर पर, सी. ई. आर. सी. द्वारा पारित 3 अक्टूबर, 2006 के शुल्क आदेश की सामग्री पर ध्यान देना उचित हो सकता है ताकि - इस न्यायालय के समक्ष संबंधित अपीलकर्ताओं द्वारा दर्ज की गई शिकायतों की सराहना करें और उन्हें समझें जो दिनांक 3 अक्टूबर, 2006 के सी. ई. आर. सी. के आदेश को चुनौती देने वाले विद्वान अपीलीय न्यायाधिकरण के समक्ष अपीलकर्ता भी थे।

6. सी. ई. आर. सी. ने 3 अक्टूबर, 2006 के अपने आदेश में यह विचार रखा कि निगम द्वारा प्रभार्य शुल्क के निर्धारण का मामला यह 2003 के अधिनियम और केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग (शुल्क के नियम और शर्तें) के प्रावधानों द्वारा शासित होगा।

इसके तहत बनाए गए विनियम, 2004 (जिसे इसके बाद "शुल्क विनियम" के रूप में संदर्भित किया गया है)। तदनुसार, सी. ई. आर. सी. विभिन्न प्रासंगिक कारकों को उचित महत्व देने के बाद शुल्क निर्धारित करने के लिए आगे बढ़ा, जिन पर लागू विनियमों द्वारा बताए गए इस तरह के निर्धारण के लिए विचार किया जाना आवश्यक है। सी. ई. आर. सी. के आदेश को पढ़ने से पता चलता है कि शुल्क निर्धारित करने में सी. ई. आर. सी. द्वारा निम्नलिखित मुद्दों पर विचार किया गया था।

जी. एफ. ए. और एन. एफ. ए. विधि के बीच चयन;

((ख) पूँजीगत लागत।

((ग) रुपये की अतिरिक्त देनदारी।

((iv) अतिरिक्त पूँजीकरण; भास्कर श्रीची एलॉयस लिमिटेड।

ईटीसी। ईटीसी. वी. दामोदर घाटी निगम और ओआरएस। ईटीसी। [रंजन गोगोई, जे.]

(viii) मूल्यह्रास के विरुद्ध अग्रिम सहित मूल्यह्रास; (ix) ओ एंड एम खर्च;

(x) पेंशन और उपदान निधि;

(xii) परिचालन संबंधी मानदंड; (xiii) तापीय के लिए ऊर्जा प्रभार और ईंधन घटक

उत्पादन स्टेशन;

(xiv) ईंधन मूल्य समायोजन

7. 3 अक्टूबर, 2006 के उपरोक्त आदेश से व्यथित,

इसके तहत; उपभोक्ता, जैसे कि भास्कर श्रची अलॉयज लिमिटेड, इम्पेक्स फेरो टेक लिमिटेड, श्याम फेरो अलॉयज लिमिटेड, मैथन अलॉयज लिमिटेड, अंजनी फेरो अलॉयज लिमिटेड, दयाल स्टील लिमिटेड और कैस्ट्रॉल टेक्नोलॉजीज लिमिटेड, जहां तक अस्थायी अवधि का संबंध है और झारखंड राज्य और पश्चिम बंगाल विद्युत नियामक आयोग ने जहां तक बिजली के अंतर-राज्य संचरण को निर्धारित करने के लिए राज्य नियामक आयोग की शक्ति के बहिष्कार का संबंध है, अलग-अलग अपीलों के माध्यम से विद्वत अपीलीय न्यायाधिकरण का दरवाजा खटखटाया था। 8. विद्वत अपीलीय न्यायाधिकरण ने 23 नवंबर, 2007 के विवादित निर्णय और आदेश द्वारा यह विचार व्यक्त किया कि 2003 के अधिनियम की धारा 14 के चौथे परंतुक के आधार पर, जबकि निगम एक मानित अनुज्ञप्तिधारी बना रहा, 1948 के अधिनियम के प्रावधान, जो 2003 के अधिनियम के प्रावधानों के साथ असंगत नहीं हैं, निगम पर लागू होते रहेंगे। दूसरे शब्दों में, जहाँ तक 1948 के अधिनियम और 2003 के अधिनियम के प्रावधानों के बीच अंतर-खेल का संबंध है, विद्वान अपीलीय न्यायाधिकरण के अनुसार, यह केवल बाद के अधिनियम के साथ असंगत पहले के अधिनियम के प्रावधान हैं जो प्रभावी नहीं होंगे और 1948 के अधिनियम के ऐसे प्रावधान जो सुसंगत हैं, 2003 के अधिनियम के अधिनियमन के बावजूद इस क्षेत्र में बने रहेंगे। आगे बढ़ते हुए, विद्वत अपीलीय न्यायाधिकरण ने अभिनिर्धारित किया कि जबकि [2018] 10 एस. सी. आर. की धारा 20।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

1948 का अधिनियम जो निगम को शुल्क निर्धारित करने का अधिकार देता है, 2003 के अधिनियम की धारा 62 के साथ असंगत है जो "उपयुक्त आयोग" को निम्नलिखित के अनुसार शुल्क निर्धारित करने के लिए अधिकृत करता है:

2003 के अधिनियम के प्रावधान, 1948 के अधिनियम के भाग IV की धारा 32,37,38,39 और 40 में निहित विशिष्ट प्रावधान शुल्क के निर्धारण के मामले में उतने ही प्रासंगिक बने रहेंगे जितना कि 2003 के अधिनियम में कोई समान सामग्री/समानांतर प्रावधान नहीं हैं। यह भी अभिनिर्धारित किया गया कि यद्यपि उसी क्षेत्र को शामिल करते हुए सी. ई. आर. सी. द्वारा बनाए गए शुल्क विनियमों में प्रावधान हैं, उक्त विनियम, अधीनस्थ विधान की प्रकृति में होने के कारण, विधिवत अधिनियमित कानून (1948 का अधिनियम) के प्रावधानों को ओवरराइड नहीं कर सकते हैं, विशेष रूप से, 2003 के अधिनियम के किसी भी प्रावधान में उक्त प्रभाव के लिए किसी भी विधायी इरादे के अभाव में। तदनुसार, विद्वत अपीलीय न्यायाधिकरण ने निम्नलिखित पाँच दावों को अस्वीकार करते हुए और उपरोक्त मामलों पर सी. ई. आर. सी. के आदेश को बरकरार रखते हुए, सी. ई. आर. सी. द्वारा दर्ज किए गए निष्कर्षों के आलोक में शेष पाँच मुद्दों पर नए सिरे से विचार करने के लिए मामले को रिमांड पर लेना उचित समझा। नीचे निकाला गया सारणीबद्ध चार्ट उन पाँच मुद्दों को इंगित करेगा जिन्हें विद्वान अपीलीय न्यायाधिकरण द्वारा दिनांक 3 अक्टूबर, 2006 के सी. ई. आर. सी. के आदेश को बरकरार रखते हुए अंतिम रूप दिया गया है और अन्य पाँच मुद्दे जिन्हें सी. ई. आर. सी. द्वारा पुनः निर्धारण के लिए भेज दिया गया है।

द्वारा अंतिम रूप दिए गए मुद्दे

रिमांड पर लिए गए मुद्दे

द्वारा पुनर्निर्धारण

एड सीखें

अपीलीय

न्यायाधिकरण ने बरकरार रखते हुए

सीईआरसी

सी. ई. आर. सी. का दिनांकित आदेश 3 अक्टूबर, 2006

इक्विटी पर उच्च प्रतिफल,

अतिरिक्त

((i)

(1)

के लिए पूँजीकरण

अवधि 2004-2005

और

2005-2006 ;

पेंशन और ग्रेच्युटी

((ख)

((ख)

मूल्यह्रास दर;

योगदान;

राजस्व की अनुमति दी जाएगी।

(iii)। संचालन का पुनर्निर्धारण (iii)

से भिन्न होने पर मानदंड

डी. वी. सी. के अधीन

डीवीसी अधिनियम;

2004 के नियमों में;

पूँजी निवेश पर प्रतिफल (iv)

((iv)

और

ऑपरेशन

मुख्य कार्यालय, क्षेत्रीय

रखरखाव खर्च;

कार्यालय, प्रशासनिक और अन्य तकनीकी केंद्र आदि।;

और

पीढ़ी

परियोजनाएं (v)

ऋण इक्विटी अनुपात

(v)

वर्तमान में काम नहीं कर रहा है।

भास्कर श्रीची एलॉयस लिमिटेड। ईटीसी। ईटीसी. वी. दामोदर घाटी निगम और ओआरएस। ईटीसी। [रंजन गोगोई, जे.]

9. 2003 के अधिनियम की धारा 125 के तहत अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हुए इस न्यायालय द्वारा निर्धारण के लिए कानून के तीन महत्वपूर्ण प्रश्न उत्पन्न होते प्रतीत होते हैं। इनकी गणना नीचे की गई है:

(क) क्या 2003 के अधिनियम की धारा 14 के चौथे परन्तुक के संबंध में विद्वत अपीलीय न्यायाधिकरण द्वारा लिया गया दृष्टिकोण और 2003 के अधिनियम के तहत शुल्क निर्धारण के मामले में 1948 के अधिनियम के भाग IV में निहित धारा 32,37,38,39 और 40 के प्रावधानों की प्रयोज्यता सही है? (ख) क्या यह टैरिफ विनियमों (2004 विनियमों) के प्रावधान हैं जो अकेले इस मामले में क्षेत्र रखते हैं

1948 के अधिनियम के भाग IV में निहित धारा 32,37,38,39 और 40 के प्रावधानों के अपवर्जन के लिए शुल्क का निर्धारण?

(ग) क्या शुल्क निर्धारण के मामले में किसी भी हितधारक द्वारा किए गए एक या अधिक दावों पर विद्वत अपीलीय न्यायाधिकरण के निष्कर्ष और निष्कर्ष गंभीर और स्पष्ट त्रुटियों से दूषित हैं?

10. इस स्तर पर यह ध्यान रखना उपयोगी होगा कि विद्वानों द्वारा पारित 23 नवंबर, 2007 के विवादित आदेश के संदर्भ में

अपीलीय न्यायाधिकरण ने मामले पर नए सिरे से विचार किया है और सी. ई. आर. सी. द्वारा 6 अगस्त, 2009 के अपने आदेश द्वारा इसका पुनर्निर्धारण किया गया है। यह किसी भी अंतरिम प्रतिबंध के अभाव के कारण हुआ है। सी. ई. आर. सी. के 6 अगस्त, 2009 के उक्त आदेश की विद्वान अपीलीय न्यायाधिकरण द्वारा 10 मई, 2010 के एक अलग आदेश द्वारा पुष्टि की गई है, जो इस न्यायालय के समक्ष वर्तमान में लंबित 2010 की सिविल अपील में चुनौती का विषय है। उक्त अपील (सिविल अपील No.4881

2010) वर्तमान अपीलों के निपटारे के बाद सुनवाई का आदेश दिया गया है।

11. संबंधित अपीलार्थियों द्वारा प्रस्तुत तर्क जो संबंधित अपीलों में प्रतिवादी भी हैं, इस स्तर पर नोट किए जा सकते हैं।

12. सी. ई. आर. सी. की ओर से, जो सिविल अपील में अपीलार्थी है

2008 के अनुच्छेद 1 में यह तर्क दिया गया है कि 2003 के अधिनियम की धारा 14 के चौथे परंतुक के दूसरे भाग का अर्थ यह नहीं समझा जा सकता है, जैसा कि विद्वत अपीलीय न्यायाधिकरण द्वारा अभिनिर्धारित किया गया है कि 1948 के अधिनियम के प्रावधान जो 2003 के अधिनियम के प्रावधानों के साथ असंगत नहीं हैं, जहां तक शुल्क के निर्धारण का संबंध है, वे जारी रहेंगे। उपरोक्त के

समर्थन में दो प्रमुख आधारों का आग्रह किया गया है। पहला यह है कि एक प्रावधान को इससे परे जाने के लिए नहीं समझा जा सकता है

धारा का मुख्य भाग, जो वर्तमान मामले में केवल 'अनुज्ञप्ति' से संबंधित है, न कि 'शुल्क निर्धारण' से। रिलायंस के पास इस संबंध में [2018] 10 एस. सी. आर. हैं।

तर्क का दूसरा अंग 2003 के अधिनियम की धारा 174 में निहित प्रावधानों पर आधारित है जो एक प्रबल प्रभाव देता है। 2003 के अधिनियम के प्रावधानों के साथ किसी भी विसंगति के बावजूद

उस समय लागू अन्य कानून।

किसी भी 13. उपरोक्त के प्रति पूर्वाग्रह के बिना, सी. ई. आर. सी. की ओर से आगे यह तर्क दिया गया है कि विद्वत अपीलीय न्यायाधिकरण स्पष्ट रूप से था

यह अभिनिर्धारित करने में त्रुटि कि 1948 के अधिनियम और उसके बीच संघर्ष की स्थिति में

निर्धारण जो 2004 के विनियमों में विस्तृत अभिव्यक्ति पाता है। यह तर्क दिया जाता है कि विनियमों में उन सिद्धांतों को शामिल किया गया है जिन पर शुल्क निर्धारित करने की आवश्यकता है और इसके प्रावधानों को किसी अन्य क़ानून के प्रावधानों द्वारा ओवरराइड नहीं किया जा सकता है और वह भी पूर्ववर्ती समय यानी 1948 के अधिनियम में अधिनियमित किया गया है। धारा 174 का अधिदेश 2003 इस तरह की व्याख्या को स्वीकार किए जाने की स्थिति में अधिनियम से समझौता किया जाएगा।

14. जहाँ तक शुल्क निर्धारण के विशिष्ट शीर्षों का संबंध है, सीईआरसी की ओर से यह आग्रह किया गया है कि अधिनियम की धारा 40

1948 अनुमेय मूल्यह्रास की सीमा के प्रश्न का निर्धारण करने में विद्वत अपीलीय न्यायाधिकरण द्वारा गलत तरीके से भरोसा किया गया है। इस बात पर जोर दिया जाता है कि धारा 40 प्रतिशत का सवाल छोड़ देती है

मूल्यह्रास केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित किया जाना है। यह तर्क दिया जाता है कि 2003 के अधिनियम के अधिनियमन के पीछे का उद्देश्य और इरादा दूरी बनाना है

केंद्र सरकार 2003 के अधिनियम के तहत शुल्क के निर्धारण से, जिसे नियामक आयोगों द्वारा शुल्क विनियमों में स्वीकार किए गए सिद्धांतों पर निर्धारित किया जाना है। प्रशुल्क का विनियम 21 (1) (ii)

1 (1976) 1 एस. सी. सी. 128 [पैरा 18] 2 (2015) 4 एस. सी. सी. 421 [पैरा 20] 3 (2001) 8 एस. सी. सी. 676 [पैरा 14] 4 (2006) 4 एस. सी. सी. 327 [पैरा 17] भास्कर श्रीची एलॉयस लिमिटेड।

ईटीसी। ईटीसी. वी. दामोदर घाटी निगम और ओआरएस। ईटीसी। [रंजन गोगोई, जे.]

इसलिए, सी. ई. आर. सी. के अनुसार, अवमूल्यन की सीमा के निर्धारण के लिए विनियम आधार होने चाहिए थे। इस संबंध में,

पी. टी. सी. इंडिया लिमिटेड बनाम पी. टी. सी. इंडिया लिमिटेड बनाम पी. टी. सी. इंडिया लिमिटेड बनाम

60 प्रतिशत की सीमा तक उपभोक्ताओं और शेष 40 प्रतिशत के निगम द्वारा योगदान) पर इस आधार पर हमला किया गया है कि लिए गए विचार के लिए कोई स्पष्ट या तर्कसंगत आधार का खुलासा नहीं किया गया है, विशेष रूप से जब

निगम को अनुमति दी गई है और वास्तव में, वर्ष 2004-2005 के लिए 1948 के अधिनियम के तहत निगम द्वारा स्वयं निर्धारित दर पर शुल्क एकत्र किया गया है और जो शुल्क अवधि का 40 प्रतिशत है।

5 (2010) 4 एस. सी. सी. 603 [पैरा 17] [2018] 10 एस. सी. आर.

19. मुख्य कार्यालय, क्षेत्रीय कार्यालय, प्रशासनिक और अन्य तकनीकी केंद्रों के संबंध में पूंजी निवेश के भत्ते भी दिए गए हैं। शुल्क विनियमों के प्रावधानों के विपरीत होने के रूप में हमला किया गया।

20. सी. ई. आर. सी. की ओर से की गई उपरोक्त दलीलों को उन उपभोक्ताओं की ओर से दोहराया गया है जो सिविल में अपीलकर्ता हैं।

अपील सं। 971-973 2008 से। जहाँ तक 2003 के अधिनियम की धारा 14 के चौथे परंतुक में निहित प्रावधानों की व्याख्या का संबंध है, उक्त अपीलार्थियों (उपभोक्ताओं) के विद्वान वकील ने अतिरिक्त रूप से न्यायालय का ध्यान आकर्षित किया है कि 2003 के अधिनियम के अधिनियमन की प्रक्रिया के दौरान, ऊर्जा पर संसदीय स्थायी समिति ने वास्तव में सिफारिश की थी कि निगम को 1948 के अधिनियम के तहत उसे सौंपी गई विशेष जिम्मेदारी को ध्यान में रखते हुए,

यह 2003 के अधिनियम के प्रावधानों से परे है, कानून में ऐसी किसी छूट का आदेश देने या 2003 के अधिनियम के तहत निर्धारित शुल्क के प्रभाव में आने को स्थगित करने का कोई अधिकार नहीं है। इस तथ्य पर भी जोर दिया गया है कि 1948 के अधिनियम के प्रावधानों का 2003 के अधिनियम की धारा 61 के प्रावधान में कोई उल्लेख नहीं है। 21. जहां तक पेंशन और उपदान निधि का संबंध है, सी. ई. आर. सी. की ओर से इस संबंध में आग्रह किए गए आधारों के अलावा, यह भी आग्रह किया जाता है कि पेंशन और उपदान देयता के लगभग 99 प्रतिशत को बिजली व्यवसाय में तैनात मानव शक्ति के प्रतिशत के संबंध में किसी भी संदर्भ या निष्कर्ष के बिना बिजली व्यवसाय में लोड करने की अनुमति दी गई है। इस तरह की

निगम के एकमात्र प्रस्तुतिकरण पर आधारित निर्णय को कानून में असमर्थनीय माना जाता है।

भास्कर श्रीची एलॉयस लिमिटेड। ईटीसी। ईटीसी. वी. दामोदर घाटी निगम और ओआरएस। ईटीसी। [रंजन गोगोई, जे.]

1948 के अधिनियम की धारा 40 के प्रावधानों का पालन करके मूल्यह्रास के प्रतिशत की गणना और भत्ता भी किया गया है।

विनियमों के प्रावधानों के विपरीत होने के रूप में हमला किया गया, जो अपीलकर्ताओं के अनुसार-उपभोक्ताओं को क्षेत्र धारण करना चाहिए।

उक्त अपीलों में आपत्तियाँ। निगम की स्थिति और विशिष्ट विशेषताओं पर जोर दिया जाता है जैसा कि क़ानून द्वारा परिकल्पित है अर्थात उक्त निकाय का गठन करने वाला 1948 का अधिनियम। विभिन्न सामाजिक कल्याण गतिविधियों का संदर्भ देने की मांग की गई है जिन्हें निगम को बिजली उत्पादन और पारेषण के अलावा करने के लिए वैधानिक रूप से अनिवार्य किया गया है। निगम के अनुसार, निगम की उपरोक्त विशिष्ट विशेषताएँ और इसके विविध कर्तव्य न्यायसंगत होंगे।

1948 के अधिनियम के प्रावधानों के उचित अनुप्रयोग की निरंतरता जो 2003 के अधिनियम के प्रावधानों के साथ असंगत नहीं हैं। यह केवल 1948 के अधिनियम के ऐसे प्रावधान हैं जो 2003 के अधिनियम के प्रावधानों के साथ स्पष्ट रूप से विरोधाभासी हैं। 1948 के अधिनियम के प्रावधान जो टैरिफ विनियमों के प्रावधानों के विपरीत हो सकते हैं, हालांकि उनका वही प्रभाव नहीं होगा क्योंकि सहायक कानून के प्रावधान मूल या किसी अन्य क़ानून के प्रावधानों पर हावी नहीं हो सकते हैं। यह भी आग्रह किया गया है कि किसी दी गई स्थिति में किसी वैधानिक प्रावधान का परंतुक स्वयं एक मुख्य प्रावधान के रूप में कार्य कर सकता है जो उस मामले के मापदंडों से परे जा सकता है जिसके एक भाग के रूप में परंतुक अधिनियमित किया गया हो सकता है। इस संबंध में, राजस्थान राज्य बनाम लीला जैनो, एस. सुंदरम पिल्लई और अन्य बनाम वी. आर. पट्टाभिरमन और अन्य, शाह भोजराज कुवरजी ऑयल मिल्स और जिनिंग फैक्ट्री बनाम सुभाष चंद्र योगराज सिन्हा 3, मोतीराम घेलाभाई बनाम जगन नगर में इस न्यायालय के फैसलों पर भरोसा किया गया है।

23. विशेष रूप से मूल्यह्रास, डूबती निधि, पूंजी पर ब्याज आदि की दर पर आते हुए, यह आग्रह किया गया है कि 2003 के अधिनियम में उपरोक्त मामलों के संबंध में कोई प्रावधान नहीं है जो केवल टैरिफ विनियमों द्वारा निपटाए जाते हैं-1948 के अधिनियम के विशिष्ट प्रावधानों के विपरीत जो इस मुद्दे को कवर करते हैं यानी 1948 के अधिनियम की धारा 40, 6 (1965) 1 एससीआर 276

7 (1985) 1 एससीसी 591 [पैरा 27 से 43] 8 (1962) 2 एससीआर 159 [पैरा 9 और 10] 9 (1985) 2 एससीसी 279 [पैरा 9] [2018] 10 एस. सी. आर.

यह 1948 के अधिनियम के भाग IV के प्रावधान हैं जो मामले को नियंत्रित करेंगे। जहां तक ऋण-इक्विटी अनुपात का संबंध है, यह आग्रह किया गया है कि 50 पर अनुपात का निर्धारण: 50 30 मार्च, 1992 से पहले बनाई गई पूंजी परिसंपत्तियों के लिए और 70 का अनुपात: 30 30 मार्च, 1992 के बाद की पूंजी परिसंपत्तियाँ सभी के लिए अपनाए गए सिद्धांतों के अनुरूप हैं।

केंद्र सरकार के निगम जैसे एनटीपीसी लिमिटेड, पावरग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, एनएचपीसी आदि।

24. जहां तक निगम द्वारा किए जाने वाले पेंशन और उपदान योगदान का संबंध है, यह तर्क दिया जाता है कि यह मुद्दा केवल एच. टी.-उपभोक्ताओं यानी सिविल अपील संख्या में अपीलार्थियों द्वारा तर्क के स्तर पर उठाया गया है। 971-973 2008 से। इसे नियामक आयोग द्वारा या यहां तक कि एच. टी.-उपभोक्ताओं द्वारा भी नीचे दिए गए मंचों के समक्ष नहीं उठाया गया है। इसके अलावा, यह तर्क दिया जाता है कि इस संबंध में सी. ई. आर. सी. द्वारा मांगे गए कर्मचारियों के प्रतिशत के विवरण का विभाजन उपलब्ध कराया गया था, जो तथ्य विद्वान अपीलीय न्यायाधिकरण के समक्ष रखे गए दस्तावेजों से सामने आता है, जिसे इस न्यायालय के समक्ष भी रखा गया है (विद्वान अपीलीय न्यायाधिकरण के समक्ष अपील ज्ञापन का अनुलग्नक 18)।

25. इसी तरह, जहां तक संचालन और रखरखाव व्यय का संबंध है, यह तर्क दिया जाता है कि लागू टैरिफ विनियमों के अनुसार इसकी अनुमति दी गई है।

26. अपीलों में उत्पन्न होने वाले मुद्दों पर विचार करने से पहले, दो प्रारंभिक प्रश्नों का उत्तर देने की आवश्यकता है जो हम शुरुआत में करने का प्रस्ताव करते हैं। पहला 1 अप्रैल, 2004 के बजाय 1 अप्रैल, 2006 से टैरिफ ऑर्डर को प्रभावी बनाने के लिए एक अस्थायी अवधि के अनुदान से संबंधित है। 27. हमने उन कारणों पर विचार किया है जिन्होंने उपरोक्त अस्थायी अवधि देने में सी. ई. आर. सी. के साथ-साथ विद्वत अपीलीय न्यायाधिकरण के साथ वजन किया था। वर्तमान विवाद, चाहे वह किसी भी तरह से हल किया गया हो, शुल्क की मात्रा के लिए प्रासंगिक होगा, जो इस बात पर निर्भर करता है कि क्या निर्धारण 1948 के अधिनियम के भाग IV के प्रावधानों या शुल्क विनियमों के प्रावधानों के आधार पर किया जाता है। जहां तक अस्थायी अवधि के अनुदान का संबंध है, हमने देखा है कि यह उन वैधानिक कार्यों/सामाजिक जिम्मेदारियों को ध्यान में रखते हुए दिया गया है जो निगम को करने के लिए अनिवार्य हैं।

1948 के अधिनियम की शर्तें। निर्धारित शुल्क झारखंड और पश्चिम बंगाल विद्युत नियामक आयोग द्वारा सामान्य/घरेलू उपभोक्ताओं के लिए निर्धारित शुल्क से भी कम है।

भास्कर श्रीची एलॉयस लिमिटेड। ईटीसी। ईटीसी. वी. दामोदर घाटी निगम और ओआरएस। ईटीसी। [रंजन गोगोई, जे.]

यद्यपि यह सही है कि निगम द्वारा सेवा प्रदान किए जाने वाले उपभोक्ताओं के वर्ग एच. टी.-इस्पात, कोयला, रेलवे आदि जैसे औद्योगिक उपभोक्ता हैं, साथ ही पश्चिम बंगाल और झारखंड के राज्य विद्युत बोर्डों के मुख्य लाभार्थियों को थोक आपूर्ति के अलावा, उक्त तथ्य, अपने आप में एक और विशिष्ट विशेषता है जो निगम को अन्य लाइसेंसों से अलग करता है। अगर ऐसी स्थिति में

निगम को बिजली के उत्पादन, संचरण और वितरण के अलावा कुछ सामाजिक सुरक्षा/लाभकारी उपाय जैसे बाढ़ नियंत्रण, मिट्टी के कटाव पर नियंत्रण, वनीकरण, नौवहन, सार्वजनिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देना आदि करने की वैधानिक रूप से आवश्यकता है। हम यह नहीं देखते हैं कि अस्थायी अवधि के अनुदान को कैसे दोष दिया जा सकता है। इसलिए हम विद्वत अपीलीय न्यायाधिकरण के आदेश के उपरोक्त भाग में हस्तक्षेप करने से इनकार करते हैं।

28. विद्वत अपीलीय न्यायाधिकरण ने यह भी विचार लिया है कि 2003 के अधिनियम की धारा 79 के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए यह है - सी. ई. आर. सी. जो शुल्क निर्धारण के लिए "उपयुक्त आयोग" होगा क्योंकि दामोदर घाटी निगम एक निगम है।

केंद्र सरकार के स्वामित्व और नियंत्रण में। उपरोक्त निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए हमारे द्वारा विस्तृत जानकारी पर विधिवत विचार किया गया है। इस तरह के विचार पर, हमारा विचार है कि विद्वत अपीलीय न्यायाधिकरण द्वारा दर्ज किया गया उपरोक्त निष्कर्ष न तो अनुचित है और न ही अप्रासंगिक है ताकि विशेष रूप से 2003 के अधिनियम की धारा 125 के तहत सीमित अधिकार क्षेत्र के प्रयोग में हमारे हस्तक्षेप की आवश्यकता हो।

29. अब हम इस मामले में उत्पन्न होने वाले अन्य/बड़े मुद्दों की ओर रुख कर सकते हैं।

अपीलें करें।

30. दामोदर घाटी निगम को 1948 के अधिनियम के प्रावधानों के तहत शामिल किया गया था। इस इकाई के निगमन के पूर्ववर्ती तथ्य इसके निगमन के उद्देश्यों और कारणों पर काफी प्रकाश डालेंगे। वर्ष 1943 में किसी समय दामोदर नदी

घाटी भीषण बाढ़ से प्रभावित हुई थी जिससे व्यापक स्तर पर जीवन और संपत्ति का नुकसान हुआ था। बंगाल की प्रांतीय सरकार ने इनसे बचने के तरीके और साधन सुझाने के लिए एक जांच समिति का गठन किया था भविष्य में आपदाएँ। जाँच समिति ने अन्य बातों के साथ-साथ,

सिफारिश की गई कि संयुक्त राज्य अमेरिका के टेनेसी घाटी प्राधिकरण की तर्ज पर दामोदर नदी को नियंत्रित करने के लिए एक सांविधिक निगम को शामिल किया जाए। तत्कालीन ब्रिटिश सरकार ने इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया था। और इस संबंध में सिफारिशें और सुझाव देने के लिए टेनेसी घाटी प्राधिकरण के लिए काम करने वाले एक वरिष्ठ अभियंता श्री डब्ल्यू. एल. वोर्डुइन को बुलाया था।

8] 10 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

31. टेनेसी घाटी प्राधिकरण अधिनियम 1,1933 की प्रस्तावना में कहा गया है कि क़ानून को कांग्रेस द्वारा "सुधार के लिए" अधिनियमित किया गया है। नौवहन क्षमता और टेनेसी नदी के बाढ़ नियंत्रण के लिए प्रावधान करना; टेनेसी घाटी में पुनर्वनीकरण और सीमांत भूमि के उचित उपयोग के लिए प्रावधान करना; उक्त घाटी के कृषि और औद्योगिक विकास के लिए प्रावधान करना; अलबामा राज्य में मसल शोल्स में और उसके पास सरकारी संपत्तियों के संचालन के लिए एक निगम का निर्माण करके राष्ट्रीय रक्षा प्रदान करना, और अन्य उद्देश्यों के लिए। जैसा कि देखा जा सकता है, टेनेसी घाटी प्राधिकरण अधिनियम का प्राथमिक उद्देश्य टेनेसी नदी घाटी में बाढ़ को रोकना है और बिजली का उत्पादन बाढ़-नियंत्रण की इस गतिविधि के लिए आकस्मिक है।

32. 1948 के अधिनियम को शामिल करने के उद्देश्यों और कारणों पर अब ध्यान दिया जा सकता है:

" दामोदर नदी पश्चिमी बिहार से निकलती है और आम तौर पर बहती है।

दक्षिण-पूर्व दिशा में बंगाल में। यह एक मौसमी नदी है जिसमें बारिश के दौरान पानी का एक बड़ा प्रवाह होता है, जो आम तौर पर बर्बाद होने के अलावा, कभी-कभी जीवन और संपत्ति को बहुत नुकसान पहुंचाती है। अब इस नदी और इसकी कुछ सहायक नदियों के पानी का उपयोग करने और दामोदर घाटी और आसपास के क्षेत्र के कई विकास में इसका उपयोग करने का प्रस्ताव है।

यह विधेयक एक निगम की स्थापना करना चाहता है, जिसे कहा जाता है

संयुक्त राज्य अमेरिका में टेनेसी घाटी प्राधिकरण की तर्ज पर दामोदर घाटी निगम। यह अधिनियम के ढांचे के भीतर एक स्वायत्त निकाय होगा। इसकी वस्तुएँ, संविधान और शक्तियाँ विधेयक में निर्धारित की गई हैं। संक्षेप में, इसका मुख्य कार्य दामोदर में बाढ़ को नियंत्रित करना, वितरण के लिए बिजली पैदा करना और पानी उपलब्ध कराना होगा।

सिंचाई और अन्य उद्देश्यों के लिए। इसके अलावा,

निगम आर्थिक विकास को बढ़ावा देने का प्रयास करेगा दामोदर घाटी और आसपास के क्षेत्रों का विकास

क्षेत्रों। इसमें अध्यक्ष सहित तीन सदस्य होंगे। इन तीन सदस्यों और सचिव और खजांची की नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा की जाएगी। निगम के पास भूमि अधिग्रहण करने और निर्माण करने या निर्माण कराने की शक्ति होगी।

ऐसे बांधों, बैराजों, जलाशयों, बिजली घरों का निर्माण और

10 16 यू. एस. कोड धारा 831 भास्कर श्रची एलॉयस लिमिटेड। ईटीसी। ईटीसी. वी. दामोदर घाटी निगम और ओआरएस। ईटीसी। [रंजन गोगोई, जे.]

विद्युत संरचना, विद्युत संचरण लाइन, सिंचाई और

नौपरिवहन आवश्यकतानुसार काम करता है। निगम द्वारा आवश्यक पूंजी केंद्र सरकार द्वारा प्रदान की जाएगी और

बिहार और पश्चिम बंगाल की सरकार। लाभ और हानि इन तीनों सरकारों के बीच निश्चित रूप से वितरित की जाएगी।

सहमत अनुपात।
इस विधेयक के प्रावधानों को तीनों के बीच हुए समझौते की व्यापक रूपरेखा को प्रभावी बनाने के लिए तैयार किया गया है।

संबंधित सरकारें "।

33. निगमित निकाय के निर्माण के उद्देश्यों और कारणों और संसद द्वारा इसे सौंपे गए मुख्य कार्यों को ध्यान में रखते हुए, अब हम विशेष रूप से शुल्क के निर्धारण के मुद्दे पर लौट सकते हैं।

निगम द्वारा उत्पन्न बिजली की आपूर्ति/वितरण।

34. जहां तक इस मुद्दे का सवाल है कि क्या टैरिफ विनियमों का अधिनियम में समानांतर प्रावधानों को प्रस्तुत करने के लिए एक प्रमुख प्रभाव होगा

1948 अप्रभावी, पी. टी. सी. इंडिया लिमिटेड में इस न्यायालय की संविधान पीठ के निर्णय पर अपीलार्थियों की ओर से रखी गई निर्भरता (ऊपर) पर अब विचार किया जा सकता है। प्राथमिक मुद्दा जिस पर विचार किया गया था

पी. टी. सी. इंडिया लिमिटेड (ऊपर) में इस न्यायालय की संविधान पीठ ने कहा था कि क्या विद्युत अधिनियम, 2003 के तहत गठित अपीलीय न्यायाधिकरण को केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग की वैधता की जांच करने के लिए अधिनियम की धारा 111 के तहत अधिकार क्षेत्र है।

(विद्युत अधिनियम की धारा 178 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बनाए गए व्यापार सीमा निर्धारण) विनियम, 2006? ” 35. प्रशुल्क विनियमों की प्रभावकारिता के संबंध में पी. टी. सी. इंडिया लिमिटेड (ऊपर) में इस न्यायालय की टिप्पणियाँ

वैधानिक चरित्र को अनिवार्य रूप से उपरोक्त संदर्भ में समझा जाना चाहिए। पी. टी. सी. इंडिया लिमिटेड (उपरोक्त) में दी गई राय स्वयं यह स्पष्ट करती है कि टैरिफ विनियम हालांकि वैधानिक रूप से अधीनस्थ प्रत्यायोजित कानून की एक प्रजाति है, जिसका उद्देश्य है -

निम्नलिखित तरीके से वर्णित और निपटा गया:

" 52. इंडियन एक्सप्रेस न्यूजपेपर्स (बॉम्बे) (पी) लिमिटेड में v. भारत संघ इस न्यायालय * ने अभिनिर्धारित किया कि अधीनस्थ विधान प्रशासनिक कार्रवाई के दायरे से बाहर है अर्थात प्राकृतिक न्याय के नियमों के उल्लंघन के आधार पर या इसे ध्यान में नहीं रखा गया है।

* (1985) 1 एससीसी 641 [2018] 10 एस. सी. आर.

प्रासंगिक परिस्थितियाँ या कि यह उचित नहीं है। हालांकि, विधायी कार्य के प्रत्यायोजन और एक क़ानून द्वारा एक विशेष विवेकाधीन शक्ति का प्रयोग करने के लिए विवेक के निवेश के बीच एक अंतर किया जाना चाहिए। बाद के मामले में, के आक्षेपित अभ्यास

प्रशासनिक कार्रवाई पर सवाल उठाए जा सकते हैं जैसे कि विवेक का उपयोग न करना, अप्रासंगिक मामलों को ध्यान में रखना आदि। द. हालाँकि, अधीनस्थ कानून की पहुंच से बाहर है

प्रशासनिक कानून। इस प्रकार, प्रत्यायोजित विधान-जिसे अन्यथा माध्यमिक, अधीनस्थ या प्रशासनिक विधान के रूप में जाना जाता है-सरकार की प्रशासनिक शाखा द्वारा अधिनियमित किया जाता है, आमतौर पर इसके तहत

प्राथमिक विधान द्वारा इसे प्रदत्त शक्तियाँ। प्रत्यायोजित

नियम, विनियम, उप-कानून आदि; हालाँकि, उक्त लेबल के बजाय प्राथमिक में प्रावधानों का क्या महत्व है

कानून जो, सबसे पहले, शक्ति प्रदान करता है

प्रशासनिक कानून बनाएँ। ऐसे प्रावधान भी हैं -

प्रशासक की विधायी शक्ति की सीमा, निर्णय लेने की शक्ति और नीति बनाने की शक्ति।

हालांकि, सक्षम करने की शर्तों के बाहर अधिनियमित कोई भी कानून

प्रावधान न्यायिक समीक्षा और अति अधिकार के लिए असुरक्षित होगा।

36. इस न्यायालय की सात न्यायाधीशों की पीठ की राय, हालांकि

द प्रेसिडेंशियल रेफेरेंस, द दिल्ली लॉज़ में पुराना लेख

9121 1 को इस स्तर पर उपयोगी रूप से याद किया जा सकता है:

" (प्रत्यायोजित विधान में), विधायिका की कानून बनाने की शक्ति का एक हिस्सा किसी अधीनस्थ को प्रदान या प्रदान किया जाता है।

प्राधिकरण और नियम और विनियम जो बनाए जाने हैं बाद वाला स्वयं क़ानून का एक अभिन्न हिस्सा है। जैसा कि पहले ही कहा जा चुका है, यह संसद या किसी सक्षम व्यक्ति की शक्तियों के अंतर्गत आता है।

विधायी निकाय, जब अपने विधायी क्षेत्र के भीतर कानून बनाता है, तो

अधीनस्थ प्रशासनिक और विधायी शक्तियाँ प्रदान करना

कुछ अन्य प्राधिकरण। सवाल यह है: ऐसी कौन सी सीमाएँ हैं जिनके भीतर शक्तियाँ प्रदान करने की ऐसी व्यवस्था उचित रूप से की जा सकती है? बनाया गया?

आर. 1951 एस. सी. 332; कोरम: माननीय मुख्य न्यायाधीश एच. जे. कनिया, माननीय श्री आइस सैयद फजल अली, माननीय न्यायमूर्ति पतंजलि शास्त्री, माननीय न्यायमूर्ति सी. महाजन, माननीय न्यायमूर्ति बी. के. मुखर्जी, माननीय न्यायमूर्ति एस. आर.

और माननीय न्यायमूर्ति श्री विवियन बोस भास्कर श्रीची एलॉयस लिमिटेड।

ईटीसी। ईटीसी. वी. दामोदर घाटी निगम और ओआरएस। ईटीसी। [रंजन गोगोई, जे.]

अधीनस्थ कानून यह है कि विधायिका को अपनी शक्तियों का पूरी तरह से त्याग नहीं करना चाहिए और उसे अधीनस्थ एजेंसी पर अपना नियंत्रण बनाए रखना चाहिए जिसे वह बाद में किसी भी समय नष्ट कर सकता है। यदि यह किसी विशेष मामले में साबित होता है, तो ऐसे अधीनस्थ अभिकर्ता को सौंपी गई या उन्हें प्रदान की गई शक्तियों का स्वरूप या विस्तार काफी महत्वहीन है और उस प्रश्न में अदालतों को प्रवेश करने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है। यह तर्क पहली नज़र में प्रशंसनीय लगता है, लेकिन करीब से जाँच करने पर, मैं खुद को इसे ध्वनि के रूप में स्वीकार करने में असमर्थ पाता हूँ। मेरी राय में, यह पर्याप्त नहीं है कि विधायिका अधीनस्थ एजेंट पर नियंत्रण बनाए रखे और प्रतिनिधि को विधायी शक्तियों के साथ सशस्त्र करने को सही ठहराने के लिए उसे किसी भी समय वापस बुला सके। किसी विशेष विषय के बारे में। अधीनस्थ विधान न केवल उस अभिकरण के अधीनस्थ या आश्रित चरित्र को दर्शाता है जिसे विधान बनाने की शक्ति सौंपी गई है, बल्कि स्वयं विधान के अधीनस्थ या सहायक चरित्र को भी दर्शाता है, जिसका निर्माण ऐसे अभिकर्ता द्वारा किया जाता है।

को सौंपा गया। यदि विधायिका अपनी आवश्यक विधायी शक्तियों को सौंप देती है

एक बाहरी प्राधिकरण के लिए, जो, मेरी राय में, अपनी शक्तियों का एक आभासी त्याग के बराबर होगा और ऐसा कार्य अनुमेय प्रत्यायोजन की सीमाओं से अधिक होगा।

..... इन सभी निर्णयों पर विचार करने पर मुझे यह मानने में कोई संकोच नहीं है कि विधायी शक्तियों के प्रत्यायोजन के संविधान के संबंध में भारतीय विधानमंडल प्रमुख ब्रिटिश संसद के समान स्थिति में नहीं हो सकता है और कितना दूर है।

भारतीय [2018] 10 एस. सी. आर. के स्पष्ट प्रावधानों से निर्माण के मामले के रूप में भारत में प्रतिनिधि मंडल की अनुमति का पता लगाया जाना चाहिए।

संविधान। यह नहीं कहा जा सकता है कि प्रतिनिधि मंडल का असीमित अधिकार विधायिका की शक्ति में ही निहित है। यह संविधान के प्रावधानों द्वारा समर्थित नहीं है और प्रतिनिधिमंडल की वैधता पूरी तरह से इसके होने पर निर्भर करती है।

एक सहायक उपाय के रूप में उपयोग किया जाता है जो विधायिका व्यायाम के लिए आवश्यक माना जाता है

इसकी विधायी शक्तियाँ प्रभावी ढंग से और पूरी तरह से। द.

विधायिका को आवश्यक चीजों को अपने हाथों में रखना चाहिए

विधायी कार्य जो घोषित करने में शामिल हैं

विधायी नीति और उस मानक को निर्धारित करना जिसे कानून के शासन में अधिनियमित किया जाना है, और अधीनस्थ विधान के कार्य में क्या सौंपा जा सकता है जो अपनी प्रकृति से

कानून के लिए सहायक है जो शक्ति को प्रत्यायोजित करता है

इसे बनाएँ "।

& एन. आर. (ऊपर) और संस्थानन चेथू थोझिलाली यूनियन (ऊपर)। अतः विद्वत अपीलीय न्यायाधिकरण द्वारा 23 नवंबर, 2007 के अपने आदेश में उपरोक्त निर्णयों के अनुपात पर निहित निर्भरता में भी कोई त्रुटि नहीं पाई जा सकती है। 38. यह हमें 2003 के अधिनियम की धारा 14 के चौथे परंतुक के उद्देश्य और प्रभाव पर विचार करने के लिए लाएगा।

लंबे समय के दौरान बहस और चर्चा उत्पन्न हुई है

जिस मामले की सुनवाई हुई थी। अधिनियम की धारा 14 को इस स्तर पर उपयोगी रूप से नीचे निकाला जा सकता है:

" 14. लाइसेंस प्रदान करना: " उपयुक्त आयोग, जिस पर धारा 15 के तहत इसे किया गया आवेदन, किसी को भी लाइसेंस प्रदान करें।

व्यक्ति (क) पारेषण अनुज्ञप्तिधारी के रूप में बिजली संचारित करना; या

बशर्ते कि एक विशेष आर्थिक क्षेत्र के विकासकर्ता को अधिसूचित किया गया हो विशेष आर्थिक क्षेत्र एस. के. ए. आर. श्रीची एलॉयस लिमिटेड की धारा 4 की उप-धारा (1) के तहत।

ईटीसी। ईटीसी. वी. दामोदर ली निगम और ओआरएस। ईटीसी। [रंजन गोगोई, जे.]

अधिनियम, 2005 को इस खंड के प्रयोजन के लिए अनुज्ञप्तिधारी माना जाएगा, जो ऐसे विशेष आर्थिक क्षेत्र की अधिसूचना की तारीख से प्रभावी होगा।

(ग) बिजली व्यापारी के रूप में बिजली का व्यापार करना,

अनुज्ञप्ति में निर्दिष्ट किए गए किसी भी क्षेत्र में: बशर्ते कि निरस्त कानूनों या निर्धारित तिथि को या उससे पहले अनुसूची में निर्दिष्ट किसी अधिनियम के प्रावधानों के तहत बिजली के पारेषण या आपूर्ति के व्यवसाय में लगे किसी भी व्यक्ति को इस अधिनियम के तहत ऐसी अवधि के लिए लाइसेंसधारी माना जाएगा जो निरस्त कानूनों या ऐसे अधिनियम के तहत उसे दिए गए लाइसेंस, मंजूरी या अनुमोदन में निर्धारित की जाए।

अनुसूची में विनिर्दिष्ट, और ऐसे लाइसेंस के संबंध में अनुसूची में विनिर्दिष्ट निरस्त कानूनों या ऐसे अधिनियम के प्रावधान एक वर्ष की अवधि के लिए लागू होंगे।

इस अधिनियम का प्रारंभ या ऐसी पूर्व अवधि जो अनुज्ञप्तिधारी के अनुरोध पर उपयुक्त आयोग द्वारा निर्दिष्ट की जाए और उसके बाद इस अधिनियम के प्रावधान ऐसे व्यवसाय पर लागू होंगे:

यह भी प्रावधान किया गया है कि दामोदर घाटी निगम अधिनियम, 1948 की धारा 3 की उप-धारा (1) के तहत स्थापित दामोदर घाटी निगम को इस अधिनियम के तहत लाइसेंसधारी माना जाएगा, लेकिन इस अधिनियम और दामोदर घाटी निगम अधिनियम, 1948 के प्रावधानों के तहत लाइसेंस प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि वे इस अधिनियम के प्रावधानों के साथ असंगत नहीं हैं। उस निगम को आवेदन करना जारी रखें:

यह भी प्रावधान किया गया है कि सरकारी कंपनी या कंपनी

इस अधिनियम की धारा 131 की उप-धारा (2) और [2018] 10 एस. सी. आर. में निर्दिष्ट।

अनुसूची में निर्दिष्ट अधिनियमों के अनुसरण में बनाई गई कंपनी या कंपनियों को इस अधिनियम के तहत लाइसेंसधारी माना जाएगा:

यह भी प्रावधान किया गया है कि उपयुक्त आयोग एक

एक ही क्षेत्र के भीतर अपनी स्वयं की वितरण प्रणाली के माध्यम से बिजली के वितरण के लिए दो या दो से अधिक व्यक्तियों को लाइसेंस, इन शर्तों के अधीन कि एक ही क्षेत्र के भीतर लाइसेंस देने के लिए आवेदक, अन्य शर्तों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना या

इस अधिनियम के तहत आवश्यकताओं, अतिरिक्त अनुपालन

आवश्यकताएँ 1 (पूँजी पर्याप्तता, ऋण से संबंधित)

केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित योग्यता या आचार संहिता) और ऐसा कोई भी आवेदक, जो लाइसेंस देने के लिए सभी आवश्यकताओं का पालन करता है, को इस आधार पर लाइसेंस देने से इनकार नहीं किया जाएगा कि इसमें पहले से ही कोई लाइसेंसधारी मौजूद है।

यह भी प्रावधान किया गया है कि ऐसे मामले में जहां एक वितरण लाइसेंसधारी किसी अन्य व्यक्ति के माध्यम से अपने आपूर्ति क्षेत्र के भीतर एक निर्दिष्ट क्षेत्र के लिए बिजली का वितरण करने का प्रस्ताव करता है, वह व्यक्ति संबंधित राज्य आयोग से कोई अलग लाइसेंस प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं होगी और ऐसा वितरण लाइसेंसधारी अपने आपूर्ति क्षेत्र में बिजली के वितरण के लिए जिम्मेदार होगा:

यह भी प्रावधान किया गया है कि जहां एक व्यक्ति उत्पन्न करने का इरादा रखता है और

राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित किए जाने वाले ग्रामीण क्षेत्र में बिजली वितरित करने वाले ऐसे व्यक्ति को बिजली के ऐसे उत्पादन और वितरण के लिए किसी लाइसेंस की आवश्यकता नहीं होगी, लेकिन वह उन उपायों का पालन करेगा जो प्राधिकरण द्वारा निर्दिष्ट किए जा सकते हैं।

धारा 53:

यह भी प्रावधान किया गया है कि एक वितरण लाइसेंसधारी को एक की आवश्यकता नहीं होगी

बिजली में व्यापार करने का लाइसेंस "।

39. अपीलार्थियों की ओर से यह तर्क दिया जाता है कि आवेदन

रोविसो को हमेशा सीमित और समझ में रखा जाना चाहिए।

मुख्य धारा के प्रावधानों के विवरण जिसमें परंतुक है और यह कि किसी भी मामले में परंतुक का कोई आवेदन नहीं माना जा सकता है। इस तर्क के लिए कुछ जांच की आवश्यकता होगी। में।

इस अदालत के फैसले को शाह भोजराज कुवरजी ऑयल

अप्रा) को उपयोगी रूप से पुनरावृत्त किया जा सकता है और निम्नलिखित अवलोकन किए जा सकते हैं

ई विशेष रूप से ध्यान दिया गया:

एस. के. आर. श्रीची एलॉयस लिमिटेड। ईटीसी। ईटीसी. वी. दामोदर ली निगम और ओआरएस। ईटीसी। [रंजन गोगोई, जे.]

" विद्वान महान्यायवादी द्वारा यह तर्क दिया जाता है कि उच्च न्यायालय द्वारा धारा 50 (बॉम्बे रेंट, होटल और लॉजिंग हाउस रेट कंट्रोल एक्ट 1947) के पहले प्रावधान पर किया गया निर्माण गलत है। यद्यपि वह स्वीकार करते हैं कि परंतुक को धारा 50 के मूल भाग द्वारा अधिनियमित योग्यता के रूप में पढ़ा जाना चाहिए, लेकिन वह आग्रह करते हैं कि परंतुक उस उद्देश्य से परे जाए और अपना खुद का एक मूल कानून बनाए। वह रोंडा अर्बन काउंसिल बनाम में लॉर्ड लॉरेबर्न, एल. सी. की निम्नलिखित टिप्पणियों पर निर्भर करता है। टाफ वेल रेलवे, (1909) ए. सी. 253, जहां रेलवे खंड समेकन अधिनियम की धारा 51 के लिए एक परंतुक,

1845 , विचाराधीन थाः

" यह सच है कि धारा 51 को पूर्ववर्ती पर एक परंतुक के रूप में बनाया गया है। अनुभाग। लेकिन यह भी सच है कि इसका उत्तरार्ध, हालांकि एक परंतुक के रूप में, वास्तव में एक नया अधिनियम है, जो केवल पहले की योग्यता को नहीं जोड़ता है।,

और तर्क देता है कि परंतुक के बाद के भाग में,

एक मूल अधिनियम होने के नाते, यह न केवल उन मुकदमों को समझता है जो निरसन की तारीख को लंबित थे, बल्कि उन मामलों को भी समझता है, जो परंतुक के उत्तरार्द्ध की भाषा में आते थे, जब भी अधिनियम को नए क्षेत्रों में विस्तारित किया गया था।

. एक सामान्य नियम के रूप में, एक अधिनियम में एक परंतुक जोड़ा जाता है

अर्हता प्राप्त करने या जो कुछ भी है उसके लिए एक अपवाद बनाने के लिए

अधिनियम, और आम तौर पर, एक परंतुक के रूप में व्याख्या नहीं की जाती है

एक सामान्य नियम बताते हुए। लेकिन, प्रावधानों को अक्सर नहीं जोड़ा जाता है

मुख्य अधिनियम के अपवाद या योग्यता के रूप में लेकिन

बचत खंड के रूप में, जिन मामलों में वे नहीं होंगे

खंड द्वारा नियंत्रित के रूप में समझा गया "।

40. इसी तरह एस. सुंदरम पिल्लई (ऊपर) में इस न्यायालय ने आदेश दिया हैः

" लॉर्ड ओरेबर्न ने रोंडा शहरी जिला परिषद बनाम में एक प्रावधान का बहुत ही उपयुक्त विवरण और विस्तार दिया था। टैफ वेल रेलवे कं., (1909) ए. सी. 253, जहां यह बताया गया था कि ड्राफ्ट्समैन द्वारा एक परंतुक का सम्मिलन हमेशा सख्ती से नहीं होता है। इसके वैध उपयोग का

पालन किया जाता है और कभी-कभी एक प्रावधान के रूप में शब्दबद्ध एक धारा पूरी तरह से या आंशिक रूप से एक नया अधिनियम हो सकता है।

केवल कुछ जोड़ने या योग्यता प्राप्त करने के अलावा नहीं

इससे पहले क्या होता है। "[2018] 10 एस. सी. आर.

विद्युत संचरण/वितरण/व्यापार के लिए लाइसेंस प्राप्त करने की आवश्यकता से संबंधित 2003 के अधिनियम की धारा 14 के मुख्य भाग से केवल डी. वी. सी. को बाहर करने का उद्देश्य पूरी तरह से है डी. वी. सी. को 'मानित लाइसेंसधारी' के रूप में मान्यता देने और लाइसेंस के लिए आवेदन करने और प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं होने के पहले भाग द्वारा प्राप्त किया गया। विधायिका बस वहीं रुक सकती थी। दूसरे भाग को शामिल करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। चौथे परंतुक का दूसरा भाग 1948 के अधिनियम के कुछ प्रावधानों को निरंतर लागू करना है जो नहीं हैं

2003 के अधिनियम के प्रावधानों के साथ असंगत। इसे और विस्तार से बताने के लिए, आइए हम 2003 के अधिनियम की धारा 14 के तीसरे परंतुक के मामले को लें, जिसमें प्रावधान है कि "यदि कोई उपयुक्त सरकार संचारित करती है तो बिजली देता है या बिजली वितरित करता है या बिजली का व्यापार करता है, चाहे वह अधिनियम के प्रारंभ से पहले हो या बाद में, ऐसी सरकार को अधिनियम के तहत लाइसेंसधारी माना जाएगा, लेकिन अधिनियम के तहत लाइसेंस प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं होगी। जहाँ तक डी. वी. सी. का संबंध है, यदि चौथे परंतुक को केवल तीसरे परंतुक के मामले में लाइसेंस देने तक ही सीमित रखा जाना है, तो चौथा परंतुक भी परंतुक के पहले भाग के साथ बंद हो जाता। परंतुक के दूसरे भाग को शामिल करने की कोई आवश्यकता नहीं होती। विधायिका में कोई शामिल नहीं है

ऐसे शब्द जो अप्रासंगिक या अनावश्यक हैं और वैधानिक प्रावधान में उपयोग की जाने वाली प्रत्येक अभिव्यक्ति का कुछ उद्देश्य होता है।

42. 2003 के अधिनियम की धारा 14 के तीसरे और चौथे परंतुकों का सावधानीपूर्वक तुलनात्मक अध्ययन स्पष्ट रूप से इंगित करता है कि चौथे परंतुक का दूसरा भाग 1948 के अधिनियम के कुछ प्रावधानों को निरंतर लागू करना है जो 2003 के अधिनियम के प्रावधानों के साथ असंगत नहीं हैं। 1948 के अधिनियम में लाइसेंस देने के कोई प्रावधान नहीं हैं जिन्हें सहेजा जाना है। जाहिर है।

परंतुक के दूसरे भाग में संदर्भ 1948 के अधिनियम के प्रावधानों के निरंतर अनुप्रयोग के लिए प्रावधान करना है क्योंकि वे 2003 के अधिनियम के प्रावधानों के साथ असंगत नहीं हैं।

भास्कर श्रीची एलॉयस लिमिटेड। ईटीसी। ईटीसी. वी. दामोदर घाटी निगम और ओआरएस। ईटीसी। [रंजन गोगोई, जे.]

43. दलीलों के दौरान, अपीलकर्ताओं ने 1948 के अधिनियम की धारा 18 और 19 को निम्नलिखित से संबंधित प्रावधानों के रूप में संदर्भित किया:

अनुज्ञप्ति जिसे 2003 के अधिनियम की धारा 14 के चौथे परंतुक के दूसरे भाग के आधार पर सुरक्षित माना जा सकता है। 1948 के अधिनियम की धारा 18 और 19 के अवलोकन से पता चलता है कि वे दामोदर घाटी क्षेत्र के भीतर विद्युत ऊर्जा की आपूर्ति और उत्पादन और बिजली के वितरण से संबंधित हैं। 2003 के अधिनियम के प्रावधान जो विनियामक आयोगों को लाइसेंस देने के लिए अधिकृत करते हैं व्यक्ति (डी. वी. सी. के अलावा) पूरी तरह से क्षेत्र को नियंत्रित करते हैं और इसमें कोई संदेह नहीं है।

उस संबंध में 1948 के अधिनियम को निरंतर लागू करना। 1948 के अधिनियम की धारा 18 और 19 डी. वी. सी. को लाइसेंस देने से संबंधित नहीं हैं। ये प्रावधान केवल दामोदर घाटी क्षेत्र के भीतर बिजली वितरित करने के लिए अन्य संस्थाओं की गतिविधियों से संबंधित हैं। इसके अलावा, विद्युत अधिनियम, 2003 के प्रावधान विनियामक आयोगों को डी. वी. सी. के अलावा अन्य व्यक्तियों को लाइसेंस देने के लिए अधिकृत करते हैं। इसलिए, उन प्रावधानों पर 1948 के अधिनियम के निरंतर लागू होने का कोई सवाल ही नहीं हो सकता है।

44. धारा 14 का चौथा परंतुक जो ".....।

जो विद्युत अधिनियम, 2003 के प्रावधानों के साथ असंगत नहीं हैं। दोनों प्रावधानों के पीछे के इरादे की सराहना करने और उन्हें प्रभावी बनाने की आवश्यकता है।

45. मामले का एक और आयाम है जिस पर आग्रह किया गया है और इसलिए, हमारे विचार की आवश्यकता होगी। इस सवाल पर विचार करते हुए कि क्या संसदीय स्थायी समिति द्वारा प्रस्तुत रिपोर्टों को किसी क़ानून की व्याख्या के लिए अनुमेय बाहरी सहायता के रूप में लिया जा सकता है, इस न्यायालय ने कल्पना मेहता और Ors.vs मामले में हाल ही में एक निर्णय में कहा। भारत संघ और Ors.[1]2 को निम्नलिखित रूप में मनाने का अवसर मिला:

" XXXX

यह दिन के रूप में स्पष्ट है कि न्यायालय की रिपोर्ट की सहायता ले सकता है

के उद्देश्य के लिए संसदीय समिति

वैधानिक की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की सराहना करना

प्रावधान और यह समिति की रिपोर्ट या सदन के पटल पर मंत्री के भाषण को भी संदर्भित कर सकता है

12 2018 (7) स्केल 106 [2018] 10 एस. सी. आर

एक तथ्यात्मक निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए। यह एक प्रतियोगिता, एक चुनौती, एक विवाद को आमंत्रित कर सकता है और यदि कोई प्रतिस्पर्धा उत्पन्न होती है, तो न्यायालय, इस तरह के मामले में परिस्थितियों को उसी पर शासन करने के लिए कहा जाएगा।"

46. ऊर्जा पर संसदीय स्थायी समिति (13वीं लोकसभा) की कार्यवाही, जहां तक 2001 के बिजली विधेयक का संबंध है, यह इंगित करती है कि रेल मंत्रालय, भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड (बी. बी. एम. बी.) और निगम जैसे विभिन्न संगठनों ने 2003 के अधिनियम के प्रावधानों के संचालन से छूट का अनुरोध किया था, जिसमें कार्य की विशिष्ट, संवेदनशील और विशेष प्रकृति का हवाला दिया गया था कि ऐसे निकायों को उक्त निकायों/संगठनों का गठन और संचालन करने वाले वैधानिक अधिनियमों द्वारा सौंपा गया है। विशेष रूप से, इस संबंध में, 1948 के अधिनियम की धारा 12 द्वारा डी. वी. सी. पर डाले गए विशिष्ट कर्तव्यों और जिम्मेदारियों को संसदीय स्थायी समिति के समक्ष उजागर किया गया था। हमारे समक्ष यह आग्रह किया गया था कि इसकी अनुशंसा की गई थी संसदीय स्थायी समिति ने कहा कि निगम को उसके विशेष वैधानिक दर्जे को देखते हुए प्रस्तावित 2003 के अधिनियम के प्रावधानों से छूट दी जानी चाहिए, जो छूट नहीं दिए जाने पर समाप्त हो सकती है। प्रस्तावित 2003 के अधिनियम के संचालन से छूट की मांग करते हुए 1948 के अधिनियम की धारा 58 के प्रावधान जो निम्नलिखित शर्तों में हैं, उन्हें भी संसदीय स्थायी समिति के समक्ष रखा गया था:

" 58. अन्य कानूनों का प्रभाव: इस अधिनियम या उसके तहत बनाए गए किसी भी नियम के प्रावधान इस अधिनियम या इस अधिनियम के अलावा किसी भी अधिनियम के आधार पर प्रभावी किसी भी साधन के अलावा किसी भी अधिनियम में निहित कुछ भी होने के बावजूद प्रभावी होंगे।

47. दूसरी ओर, संसदीय स्थायी समिति की कार्यवाही के अभिलेख से यह प्रतीत होता है कि उद्योग

छोटानागपुर चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री और भास्कर श्रीची एलॉयस लिमिटेड ने इसका प्रतिनिधित्व किया।

ईटीसी। ईटीसी. वी. दामोदर घाटी निगम और ओआरएस। ईटीसी। [रंजन गोगोई, जे.]

बंगाल चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के साथ-साथ झारखंड और पश्चिम बंगाल राज्यों ने निगम द्वारा छूट के लिए किए गए दावों का विरोध किया था और संसदीय स्थायी समिति के समक्ष अनुरोध किया था कि 1948 के अधिनियम को ही निरस्त/संशोधित किया जाए क्योंकि सभी गैर-बिजली संबंधी गतिविधियों का संबंध है जो निगम की कुल गतिविधियों का केवल 10 प्रतिशत है। 48. संबंधित स्टैंड पर विचार करने के बाद, संसदीय स्थायी समिति ने सिफारिश की थी कि निगम को

निगम के विशेष दर्जे और जिम्मेदारियों को ध्यान में रखते हुए प्रस्तावित 2003 के अधिनियम के प्रावधानों के संचालन से छूट दी गई है, जैसा कि इसे गठित करने वाले संसदीय अधिनियम (यानी 1948 का अधिनियम) के तहत परिकल्पना की गई है। हालाँकि, ऐसा प्रतीत होता है कि संसद निगम के पक्ष में एक व्यापक/पूर्ण छूट प्रदान करने के लिए इच्छुक नहीं थी और 2003 के अधिनियम में निगम को 2003 के अधिनियम की धारा 173 में संस्थाओं में से एक के रूप में शामिल नहीं किया गया था, जो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986, परमाणु ऊर्जा अधिनियम, 1962 और रेलवे अधिनियम, 1989 के प्रावधानों में छूट प्रदान करता है, जिसमें 1948 के अधिनियम के प्रावधानों को स्पष्ट रूप से शामिल नहीं किया गया है। इसके बजाय, 2003 के अधिनियम की धारा 14 के चौथे प्रावधान को विशेष रूप से शामिल किया गया था, जिसका विवरण पहले ही नोट किया जा चुका है। धारा 173 के प्रावधान के अधिनियमन के पीछे के विधायी इतिहास और चौथे परंतुक सहित धारा 14 के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए, यह निम्नलिखित के अनुरूप हो सकता है:

यह अभिनिर्धारित करने का संसदीय इरादा कि धारा 14 के चौथे परंतुक को केवल अनुज्ञप्ति के प्रश्न तक ही सीमित नहीं समझा जाना चाहिए जिसे धारा 14 के मुख्य भाग द्वारा निपटाया जाता है। बल्कि, हम यह मानने के लिए इच्छुक हैं कि संसद ने 1948 के अधिनियम के ऐसे प्रावधानों को अनिवार्य करके निगम को आंशिक छूट प्रदान करने का इरादा किया था जो -

जो 2003 के अधिनियम के साथ असंगत नहीं हैं, वे इस क्षेत्र में बने रहेंगे। इस प्रकार, विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 14 के चौथे परंतुक को कानून के पर्याप्त प्रावधान की प्रकृति में एक विधायी अभ्यास के रूप में समझा जाना चाहिए। 1948 के अधिनियम के भाग IV के 2003 के अधिनियम के प्रावधानों के साथ असंगत नहीं होने के कारण, शुल्क के निर्धारण के लिए ध्यान में रखा जा सकता है। 1948 के अधिनियम के ऐसे प्रावधानों का टैरिफ विनियमों के असंगत प्रावधानों पर भी प्रबल प्रभाव पड़ेगा। जहाँ तक बिजली के उत्पादन और संचरण के अलावा निगम की गतिविधियों का संबंध है, हमारा विचार, जैसा कि ऊपर बताया गया है, 1948 के अधिनियम के प्रावधानों को भी प्रभावी बनाएगा। इसलिए, हम पूर्व में बताए गए कारणों के लिए अपीलीय न्यायाधिकरण द्वारा लिए गए उपरोक्त दृष्टिकोण की पुष्टि करते हैं।

8] 10 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

49. शुल्क निर्धारण के विशिष्ट शीर्ष जिन पर अपीलकर्ताओं द्वारा वर्तमान अपीलों में शिकायतें उठाई गई हैं, उन्हें नीचे सूचीबद्ध किया गया है:

(ख) डूबता कोष; (ग) ऋण इक्विटी अनुपात;

(घ) पेंशन और ग्रेच्युटी योगदान;

(ङ) मुख्य कार्यालय आदि पर पूंजी निवेश पर प्रतिफल। ;

(च) वनीकरण आदि से संबंधित राजस्व, जो संबंधित नहीं हैं

बिजली उत्पादन;

(छ) द्वारा निर्धारित शुल्क के लिए स्वीकृत संक्रमण की अवधि (दो वर्ष)

सी. ई. आर. सी. प्रभावी होगा;

(ज) संपूर्ण पारेषण को अंतर-राज्य पारेषण लाइनों के रूप में माना जाए, जिससे झारखंड और पश्चिम बंगाल राज्य विद्युत विनियमन आयोगों को राज्य के भीतर पारेषण के लिए शुल्क तय करने के लिए बिजली का वितरण किया जा सके।

50. जहां तक उपरोक्त (छ) और (छ) के अंतिम दो मुद्दों के तहत प्रश्नों का संबंध है, उन्हें पहले ही मामले में निपटा लिया गया है।

वर्तमान आदेश। शुल्क निर्धारण के शेष शीर्षों में से, ऐसा प्रतीत होता है कि जहां तक 'मूल्यह्रास दर' और 'डूबती निधि' का संबंध है, यह 1948 के अधिनियम की धारा 40 के प्रावधान हैं जिन्हें निर्धारक माना गया है। हमने इस संबंध में विद्वत अपीलीय न्यायाधिकरण द्वारा अपनाए गए तर्क का अध्ययन किया है। जिस तरह से 2003 के अधिनियम की धारा 14 के चौथे परंतुक को स्पष्ट किया जाना है यह समझते हुए कि हम 'मूल्यह्रास' और 'डूबती निधि' से संबंधित मुद्दों पर विद्वत अपीलीय न्यायाधिकरण द्वारा अपनाए गए तर्क को किसी भी तरह से मौलिक रूप से त्रुटिपूर्ण नहीं पाते हैं ताकि 2003 के अधिनियम की धारा 125 के तहत हमारे हस्तक्षेप/हस्तक्षेप की आवश्यकता वाले कानून के एक महत्वपूर्ण प्रश्न को जन्म दिया जा सके।

51. जहां तक ऋण-इक्विटी अनुपात का संबंध है, हम पाते हैं कि 1992 से पहले पूरी की गई परियोजनाओं को छोड़कर

किस मामले में अनुपात को अन्य सार्वजनिक क्षेत्र के संगठनों के बराबर 50 पर निर्धारित किया गया है: 50 , 70 का अनुपात: 30 1948 के अधिनियम के तहत किसी विशिष्ट दर के अभाव में टैरिफ विनियमों के विनियमन 20 के तहत पर्चे का पालन करते हुए अपनाया गया है।

भास्कर श्रीची एलॉयस लिमिटेड। ईटीसी। ईटीसी. वी. दामोदर घाटी निगम और ओआरएस। ईटीसी। [रंजन गोगोई, जे.]

52. जहाँ तक पेंशन और ग्रेच्युटी निधि का संबंध है, केवल एक ही मुद्दा उठ रहा है कि क्या निधि को एक्चुअरी आधार पर तैयार किया गया है।

रु. 1534.49 सी. ई. आर. सी. द्वारा रखे गए करोड़ रुपये निगम और उपभोक्ताओं के बीच 40 के अनुपात में विभाजित किए जाने चाहिए: 60 या पूरी निधि को शुल्क के माध्यम से वसूल करने की अनुमति दी जानी चाहिए विद्वान अपीलीय न्यायाधिकरण द्वारा धारित उपभोक्ता। उपरोक्त निष्कर्ष पर पहुँचने में विद्वत अपीलीय न्यायाधिकरण का तर्क इस प्रकार है:

" D. 3 एक सामान्य नियम के रूप में, एक बार जब आयोग, विवेकपूर्ण जांच के बाद, पेंशन और ग्रेच्युटी योगदान निधि के वित्तपोषण की आवश्यकता पर सहमत हो जाता है, तो डी. वी. सी. को शुल्क के माध्यम से उपभोक्ताओं से पूरी राशि वसूल करने की अनुमति दी जानी चाहिए थी। डी. वी. सी. को अपने संसाधनों से योगदान करने के लिए कहना इसे शुल्क विनियमों के संदर्भ में आश्वस्त इक्विटी पर रिटर्न से इनकार करने के समान होगा। हालाँकि, अगर हम इसे उपभोक्ताओं के दृष्टिकोण से देखें, तो उपभोक्ताओं, विशेष रूप से औद्योगिक और वाणिज्यिक लोगों के पास अब संचित दायित्व को पूरा करने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए अपने बिक्री मूल्य को समायोजित करने का कोई विकल्प नहीं है। इसलिए, यह एक स्वीकृत तथ्य है कि इस तरह के कोष के निर्माण को स्थगित करने के कारण, उपभोक्ता अन्यथा लागू वैध शुल्क की तुलना में कम शुल्क का आनंद ले रहे थे। उनके लिए "।

53. विद्वत अपीलीय न्यायाधिकरण द्वारा अपनाए गए तर्क पर सावधानीपूर्वक विचार करने से ऐसी किसी भी त्रुटि का खुलासा नहीं होगा जिससे इसकी पुष्टि हो सके।

इस न्यायालय का हस्तक्षेप। धारा 125 के तहत हस्तक्षेप को उचित ठहराने के लिए अपनाए गए तर्क में कोई त्रुटि या भ्रांति का खुलासा नहीं किया गया है।

2003 का अधिनियम।

54. जहां तक उपभोक्ताओं का संबंध है (सिविल अपील सं. में अपीलार्थी। 971-973 2008) का संबंध है, एक अतिरिक्त मुद्दा उठाया गया है, जैसा कि पहले देखा गया था। यह नियुक्त कर्मचारियों की संख्या के संबंध में है।

निगम द्वारा बिजली क्षेत्र में जिसके लिए अकेले आनुपातिक है

जहां तक पेंशन और उपदान का संबंध है, शुल्क के माध्यम से वसूली उचित होगी। इस तथ्य के अलावा कि यह मुद्दा नीचे दिए गए किसी भी मंच पर नहीं उठाया गया था और पहली बार इस न्यायालय के समक्ष इस तरह उठाया गया था और वह भी आगे की दलीलों के दौरान, अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री हमारे द्वारा किए जाने वाले निष्कर्ष को उचित नहीं ठहराती है जो किए गए तर्क के मूल आधार का समर्थन

करेगी, अर्थात्, निगम ने [2018] 10 एस. सी. आर. को दिखाने के लिए सी. ई. आर. सी. के समक्ष कोई सामग्री नहीं रखी थी।

निगम के बिजली क्षेत्र में तैनात कार्यबल की सीमा।

वास्तव में, निगम की ओर से दी गई जवाबी दलीलों में इस तर्क का खंडन किया गया है और यह दावा किया गया है कि ऐसी सामग्री वास्तव में सी. ई. आर. सी. के समक्ष रखी गई थी, एक तथ्य जो हमें सही लगता है।

55. जहां तक बिजली पर शुल्क के माध्यम से निगम की अन्य गतिविधियों से संबंधित लागत भत्ते के मुद्दे का संबंध है, हमने इस संबंध में उठाई गई आपत्तियों पर ध्यान दिया है जो कुल मिलाकर अधिनियम की धारा 32 और 33 है। 1948 ये 2003 के अधिनियम की धारा 41 और 51 के साथ सीधे टकराव में हैं और इसलिए, निगम द्वारा बिजली शुल्क के माध्यम से किए गए "अन्य कार्यों" में की गई लागत की वसूली पूरी तरह से असमर्थनीय है। इसके अलावा

उस आधार को दोहराते हुए जिसके आधार पर हमने 2003 के अधिनियम की धारा 14 के चौथे परंतुक के उद्देश्य और दायरे पर विद्वत अपीलीय न्यायाधिकरण के निष्कर्षों की पुष्टि करना उचित समझा है और 1948 के अधिनियम के प्रावधानों का निरंतर संचालन जो 2003 के अधिनियम के प्रावधानों के साथ असंगत नहीं हैं, हमने 2003 के अधिनियम की धारा 41 और 51 में निहित विशिष्ट प्रावधानों पर भी ध्यान दिया है जो, अन्य बातों के साथ-साथ, पारेषण/वितरण लाइसेंसधारियों द्वारा किए गए अन्य व्यवसाय के अलग-अलग खातों के रखरखाव की आवश्यकता होती है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि बिजली के पारेषण/वितरण व्यवसाय से प्राप्त आय ऐसे किसी अन्य व्यवसाय को सब्सिडी न दे। 2003 के अधिनियम की धारा 41 और 51 में न केवल 2003 के अधिनियम के तहत लाइसेंसधारी के अलावा किसी अन्य व्यवसाय में शामिल होने से पहले उपयुक्त आयोग की पूर्व मंजूरी पर विचार किया गया है, बल्कि 2003 के अधिनियम के उपरोक्त प्रावधानों द्वारा इस तरह के व्यवसाय से कुछ लाभ या राजस्व की कमाई पर भी विचार किया गया है। तत्काल मामले में, निगम की "अन्य गतिविधियाँ" वैकल्पिक नहीं हैं जैसा कि 2003 के अधिनियम की धाराओं 41/51 के तहत विचार किया गया है।

इसलिए, 1948 के अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार, बिजली के उपभोक्ताओं/ग्राहकों से प्रभार्य शुल्क द्वारा उत्पन्न सामान्य निधि से निगम की गतिविधियाँ 2003 के अधिनियम के प्रावधानों से टकराती नहीं हैं या किसी भी तरह से असंगत नहीं हैं। हम करेंगे, इसलिए, उपरोक्त अंकों पर विद्वत अपीलीय न्यायाधिकरण द्वारा दर्ज किए गए निष्कर्षों में हस्तक्षेप करने का कोई अवसर नहीं है।

भास्कर श्रीची एलॉयस लिमिटेड। ईटीसी।
ईटीसी. वी. दामोदर 809 घाटी निगम और ओआरएस। ईटीसी। [रंजन गोगोई, जे.]

56. विचाराधीन अपील ए में उठाए गए/उत्पन्न होने वाले सभी मुद्दों को ऊपर बताए गए तरीके से निपटाने के बाद, हम इसे उचित समझते हैं -

सभी अपीलों को खारिज कर दें और विद्वत अपीलीय न्यायाधिकरण द्वारा 23 नवंबर, 2007 को पारित निर्णय और आदेश की पुष्टि करें। हम उसी के अनुसार आदेश देते हैं।

दिव्या पांडे